



प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं
और नए पहलुओं के बारे में जागरूकता

बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति



राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)
National Council For Cooperative Training
(An Autonomous Society Promoted by Ministry of Cooperation, Government of India)



*List of Articles/Editorials on
Multi-State Cooperative Society on Export*

Index Page

State	Language	Newspaper	Edition	Date of Publication	Contributor	Index Page No
Kerala	Malayalam	Malayalam Manorama	Kerala	12/01/2023	ICM, Thiruvananthapuram	1.
Kerala	Malayalam	Kerala Koumidi	Kerala	12/01/2023	ICM, Thiruvananthapuram	2.
Kerala	Malayalam	Mathrubhoomi	Kerala	12/01/2023	ICM, Thiruvananthapuram	3.
Kerala	Malayalam	Deshabhimani	Kerala	12/01/2023	ICM, Thiruvananthapuram	4.
Hyderabad	Telugu	Namaste Telangana	Hyderabad Main	17/01/2023	ICM, Hyderabad	5.
चंडीगढ़	हिन्दी	रैस्टवे एक्सप्रेस	चंडीगढ़	18/01/2023	RICM, Chandigarh	6.
Gujarat	Gujarati	Gandhinagar Samachar	Gandhinagar	18/01/2023	RICM, Gandhinagar	7.
Tamilnadu	English	Business Line	Tamilnadu	18/01/2023	Shri Prabhudutt Mishra, Sr. Journalist	8.
West Bengal	Bangla	Sabujsona	Kolkatta	18/01/2023	RICM Kalyani	9.
Manipur	English	Hills Hornbill Express	Imphal	19/01/2023	ICM Imphal	10.
Manipur	Manipuri	Hueiyen Lanpao	Imphal	19/01/2023	ICM Imphal	11.
Uttar Pradesh	Hindi	CMG Times	Uttar Pradesh	19/01/2023	IGICM, Lucknow	12.
Karnataka	Kannada	NADANUDI Kannada Daily Newspaper	Bagalkot	19/01/2023	RICM Bangalore	13.

Uttarakhand	Hindi	दैनिक जन लहर	Dehradun	19.01.2023	आईसीएम, देहरादून	14.
New Delhi	English	The Hindu	New Delhi	20/01/2023	Vijita Singh	15.
Maharashtra		Maharashtra Times	Pune	20/01/2023	ICM Pune	16.
Tamilnadu	Tamil	Dinakaran	Tamilnadu	20/01/2023	ICM Madurai	17.
Madhya Pradesh	Hindi	Vividh samachar	Bhopal	20/01/2023	ICM Bhopal	18.
Uttar Pradesh	Hindi	Rastriya Sahara	Varanasi	20/01/2023	ICM Lucknow	19.
Uttar Pradesh	Hindi	Bharat Ekta Times	Varanasi	20/01/2023	ICM, Lucknow	20.
Uttar Pradesh	Hindi	UPCM News	Lucknow	20/01/2023	ICM, Lucknow	21.
Uttar Pradesh	Hindi	Dainik Bhaskar	Lucknow	21/01/2023	IGICM,Lucknow	22.
Uttar Pradesh	Hindi	Baraily ki Awaz	Lucknow	21/01/2023	IGICM,Lucknow	23.
Uttar Pradesh	Hindi	Public Asia Dainik	Lucknow	21/01/2023	IGICM,Lucknow	24.
Tamil Nadu	Tamil	Namadu Dhedal	Tamilnadu	22/01/2023	ICM Madurai	25.
Gujarat	English	Economic Times	Ahmedabad	22/01/2023	RICM, Gandhinagar	26.
Gujarat	English	Times of India	Ahmedabad	22/01/2023	RICM, Gandhinagar	27.
Kerala	Malayalam	Jenma Bhoomi Daily	Kerala	23/01/2023	ICM, Kannur	28.
Kerala	Malayalam	Prabhakhar Vartha	Kerala	23/01/2023	ICM, Kannur	29.
West Bengal	Hindi	Dweep Smachar	Andaman and Nicobar Islands	23/01/2023	RICM, Kalyani	30.
Orissa	Odiya	Biswabani	Odissa	24/01/2023	MICM, Bhubaneswar	31.
Rajasthan	Hindi	Maru Prahar	Jaipur	25/01/2023	ICM, Jaipur	32.

ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് 3 ദേശീയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

രാജീവ് മേനോൻ

ന്യൂഡൽഹി • കർഷകർക്കായി വിത്ത് ലഭ്യമാക്കാനും ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം, കാർഷികോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുമായി 3 ദേശീയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു സഹകരണ സംഘ നിയമ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ സൊസൈറ്റികളിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ജില്ല-സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലങ്ങളിലുള്ള ഫെഡറേഷനുകൾ, മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങി പ്രാഥമിക തലമുതൽ ദേശീയ തലവരെയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അംഗമാകാമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു.

ചരക്കുകളുടെ സംസ്കരണവും രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതും സഹകരണ മേഖലയിൽ അധിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉൽപാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്,

ലേബലിങ്, പാക്കേജിങ്, വിപണനം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഉന്നത സംഘടനയായി വിത്ത് സംബന്ധിച്ച ദേശീയ സഹകരണ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കും. തന്ത്രപരമായ ഗവേഷണവും വികസനവും; തദ്ദേശീയമായ പ്രകൃതിഭക്ത വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും വികസിപ്പിക്കും. ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംയോജനം, പരിശോധന, സമാഹരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്, ലേബലിങ്, പാക്കേജിങ്, ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്ക് ദേശീയ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് സഹകരണ സംഘം മുൻഗണന നൽകും. പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗത്വ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കു സഹകരണസംഘം വ്യവസ്ഥാപിത പിന്തുണ നൽകും. അംഗീകൃത ജൈവോൽപ്പന്ന പരിശോധനാ ലാബുകളേയും അംഗീകൃതസ്ഥാപനങ്ങളെയും എംപാനൽ ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Title : For Promoting Organic Farming three National Cooperative Societies are formed
News Paper - Malayalam Manorama, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 11 | Circulation – 84.78 Lakhs

സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കായി ദേശീയ സൊസൈറ്റി വരും

ന്യൂഡൽഹി: സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതി, ജൈവോത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം, വിത്തു ശേഖരണം വിപണനം തുടങ്ങിയവ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ സഹകരണ കയറ്റുമതി സൊസൈറ്റിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി.



കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വില ഉറപ്പാക്കും. കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് സഹകരണമേഖലയിലെ ചരക്ക്-സേവന ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

വിത്തുകൾ

■ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിംഗ്, ലേബലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ശേഖരണം, വിപണനം, വിതരണം, ഗവേഷണം, വികസനം തുടങ്ങിയവയിൽ സഹായം
 ■ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും, കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (ഐ.സി.ഐ.ആർ), നാഷണൽ സിഡ് കോർപ്പറേഷൻ (എൻ.എസ്.സി

) എന്നിവയുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും.
 ■ തദ്ദേശീയ വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും അക്ഷെക്സ് സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കും.
 ■ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അംഗമാകാം. സൊസൈറ്റി ബോർഡിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ.

ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾ

- ആഭ്യന്തര, ആഗോളവിപണികളിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും ഉപഭോഗസാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കും.
- ജൈവോത്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിംഗ്, ലേബലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സുകൾ, വിപണനം തുടങ്ങിയവ ഏകോപിപ്പിക്കും
- ജൈവ കർഷകർക്ക് പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപ്പാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ വഴി സാമ്പത്തികസഹായം ലഭ്യമാക്കും.
- അംഗീകൃത ജൈവോത്പന്ന പരിശോധനാ ലാബുകളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും എംപാനൽ ചെയ്യും
- ജൈവ ഉൽപ്പാദകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം, പരിശീലനം.
- ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിത വിപണി
- ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പതിവ് കൃഷിരീതിയുമായി സത്തുലനം നിലനിർത്തും.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ 3 സഹകരണ സംഘം വരുന്നു

പ്രത്യേക ലേഖകൻ

നന്ദധർമ്മി

ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിത്ത്, ചരക്ക്-സേവന കയറ്റുമതി മേഖലകളിലാണ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക. സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കടന്നുകയറാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

ജൈവ ഉൽപ്പന്ന മേഖലയെ കുട്ടിച്ചേർക്കൽ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ, പരിശോധന, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്, ചരക്ക് കടത്തൽ, വിപണനം എന്നീ

- ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിത്ത്, ചരക്ക്- സേവന കയറ്റുമതി മേഖലകളിലാണ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക
- സഹകരണമേഖലയിൽ കടന്നുകയറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കം

മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണയും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകാനാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന ജൈവ സഹകരണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത്. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ മുതൽ സംസ്ഥാനതല ഫെഡറേഷനുകളെ വരെ ഇതിൽ അംഗമാക്കും.

വിത്തുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, വിപണനം, വിതര

ണം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെയും ദേശീയ സീഡ് കോർപ്പറേഷന്റെയും സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ മേഖലയിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സംഘം. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ മുതൽ ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾക്കുവരെ ഇതിൽ അംഗങ്ങളാകാം. വിദേശ, വാണിജ്യ-വ്യവസായ

മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സഹകരണ മേഖല കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന്, അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കി. കൊൽക്കത്തയിലെ കുടിവെള്ള, ശുചിത്വ ദേശീയ കേന്ദ്രത്തിന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പേര് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.

Title : Three National Cooperative Societies are established for the development of Agriculture Sector
News Paper - Mathrubhoomi, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 8 | Circulation – 47.93 Lakhs

കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക്

3 സഹ.സംഘങ്ങൾ

പ്രത്യേക ലേഖകൻ സ്വയംതപി

കാർഷികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയതലത്തിൽ മൂന്ന് സഹകരണസംഘങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. വിത്തുകൾ, ജൈവോത്പന്നങ്ങൾ, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണസംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യസമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

പാർലമെന്റ് ഈയിടെ പാസാക്കിയ ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണസംഘം നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് നടപടി. സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധിയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുശേഷം മന്ത്രി ഭൂപേരയ്യ വേദി പറഞ്ഞു.

ദേശീയ വിത്ത് സഹകരണസംഘം

ദേശീയ ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ വിത്ത് സംഘത്തിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ



ഫെഡറേഷനുകൾക്കും അംഗമാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടാകും.

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉൽപാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ഗുണമേന്മാപ്രചാരണം (ബ്രാൻഡിങ്), ശേഖരിക്കൽ, വിപണനം-വിതരണം, ഗവേഷണം, കലർപ്പില്ലാത്ത നാടൻ വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവും എന്നിവയായിരിക്കും ഈ സംഘത്തിന്റെ ചുമതല.

ദേശീയ ജൈവോത്പന്ന സഹകരണസംഘം

പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങൾ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപാദക സംഘങ്ങൾ (എഫ്.പി.ഒ.കൾ) എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിൽ അംഗമാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടായിരിക്കും.



വിവിധ സംഘനകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കൽ, ജൈവോത്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകൽ, പരിശോധന, ഗുണമേന്മ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, വിപണനം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഈ ദേശീയ സംഘത്തിന്റെ ചുമതല.

ദേശീയ കയറ്റുമതി സഹകരണസംഘം

പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങൾ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അംഗങ്ങളാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടാകും. രാജ്യമൊട്ടുക്കുമുള്ള വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അധിക ഉൽപന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ



എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഉന്നത സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ആഗോളവിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ സഹകരണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യത കൂടും.

Title : Three National Coop Societies are formed by Central Govt.

News Paper - Deshabhimani, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 7 | Circulation – 20.94 Lakhs

జాతీయ స్థాయి మల్టీస్టేట్స్ కో-ఆపరేటివ్ ఎక్స్‌పోర్టు సొసైటీ ఆమోదంతో

గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో సహకార సంస్థల ఎగుమతుల సామర్థ్యానికి అన్‌లాక్

మన తెలంగాణ / రాజేంద్రనగర్ : జాతీయ స్థాయి బహుళ రాష్ట్రాల సహకార ఎగుమతుల సంస్థ ఏర్పాటు ఆమోదం లభించింది. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రి వర్గం ఈ మేరకు ఆమోదం తెలిపినట్లు రాజేంద్రనగర్‌లోని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కో ఆపరేటివ్ మేనేజ్ మెంట్(ఐసిఎం) డైరెక్టర్ హెచ్‌ఎస్‌కె.తంగిరాల ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మల్టీస్టేట్ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ (ఎంఎస్‌సి ఎస్) చట్టం 2002 సబంధిత మంత్రిత్వ శాఖల మద్దతుతో ముఖ్యంగా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మరియు వాణిజ్య, వాణిజం మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖల ఎగుమతి సంబంధిత విధానాలు, పథకాలు, ఏజెన్సీల ద్వారా 'పూర్తి ప్రభుత్వ విధానాన్ని' అనుసరించడం ద్వారా సహకారం సంస్థలు, సబంధిత సంస్థల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయమడిన అన్ని వస్తువులు, సేవలను ఎగుమతులు చేయవచ్చుని తెలిపారు. ప్రతిపాదిత సొసైటీ ఎగుమతుల నిర్వాహించడానికి ఒక గొడుగు సంస్థగా ప్రోత్సహించనుండన్నారు. ఫలితంగా సహకార రంగం నుంచి ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని తెలిపారు. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో భారతీయ సహకార సంస్థల ఎగుమతి సామర్థ్యాన్ని అన్‌లాక్ చేయ



డంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రతిపాదిత సొసైటీ ఎగుమతి సంబంధిత పథకాలు మరియు భారత ప్రభుత్వ వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల విధానాల ప్రయోజనాలను కేంద్రీకృత పద్ధతిలో పొందడానికి సహకార సంస్థలకు సాహాయం చేస్తుంది. గ్రామస్థాయిలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు, జిల్లా స్థాయి సంఘాలతో పాటు రాష్ట్రస్థాయి సొసైటీలు జాతీయ స్థాయిలో సమాఖ్యగా ఉంటాయన్నారు. అన్ని బహుళ రాష్ట్రాల సహకార సంఘాలు వాటి సభ్యులు కావచ్చు. ఈ సహకార సంఘాలన్నీ వాటి ఉప చట్టాల ప్రకారం సంఘం యొక్క బోర్డులో ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులను కలిగి ఉంటాయి. జాతీయ స్థాయి సహకార సమాఖ్య సంబంధిత కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల మద్దతుతో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సహకార సంఘముల ద్వారా ఉత్పత్తిని చేయమడిన మిగులు వస్తువులు లేదా సేవలను ఎగుమతి చేయడానికి ఒక గొడుగు సంస్థగా పని చేస్తుండన్నారు. సహకార సంస్థల సమ్మిళిత వృద్ధి నమూనా ద్వారా 'సహకార సే సంమృద్ధి' లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఈ యంత్రాంగం సహాయపడుతుందని డైరెక్టర్ తంగిరాల విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

Date: 17/01/2023, Edition: Hyderabad Main, Page: 9
Source : <https://epaper.manatelangana.news/>

Published by : Dr. HSK Tangirala, Director, ICM, Hyderabad
Title : To unblock efficiency of Cooperatives to exports in Global Market | 17/01/2023 |
Page No. 9 | Circulation – 5.68 Lakhs



रैस्टवे एक्सप्रेस



Gen. Manager: Kulwant Singh Pala (Mob.: 9988440234) Chief Editor: Deepak Marwaha
Email: news@restwayexpress.com G.M.: 9988440234 Restway Restway RESTWAY NEWS RNI No. PUNBIL/2017/72143

बहुराज्यीय विभिन्न सहकारी समितियों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

होशियारपुर (रैस्टवे एक्सप्रेस) 18 जनवरी 2023 : (आनंद) क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चण्डीगढ़ के निदेशक श्री राज कुमार शर्माने आज यहां पत्रकारों से भेट वार्ता दौरान बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारिता अधिनियम 2002 के नियम के तहत एक बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की मंजूरी दे दी है, जिसे भारतीय सहकारी बीज समिति लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना, जैविक खेती, कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के मॉडल उपनियम की जानकारी आदि समितियों की स्थापना की गई। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2022 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना की स्थापना और प्रचार को मंजूरी दी गई है। प्रांसांगिक मंत्रालयों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से उनकी निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं के माध्यम से समर्थन के साथ मंजूरी दी है। यह प्रस्तावित सोसायटी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी मदद करेगी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार सं समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। सहकारी सेवाओं को बढ़ाने से अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होंगे। सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि बदले में "मे कर्ड इंडिया" को भी बढ़ावा देगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के नये नियमों के अनुसार पैक्स के किये गये कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ की प्राप्ति होगी।



माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पैक्स की डिजीटलाइजेशन से कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का और भी सुधार कर पायेंगे। यह परियोजना भारत के 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है। आधुनिक समय में भी अधिकांश पैक्स मैनुअल रूप से कार्य कर रही हैं। सभी राज्यों के पैक्स के सॉफ्टवेयर में एकरूप तालाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पैक्स के मॉडल उपनियमों की जानकारी उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी है और उनको संशोधन की आवश्यकता है। पैक्स का कृषि ऋण क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुचारु रूप से ध्यान रखते हैं। बाजार की मांग के अनुसार मॉडल उपनियमों को जारी करना अनिवार्य प्रतीत होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं में से एक कमेटी का चयन किया गया। मंत्रिमंडल ने बहु उद्देशीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के

तहत एक बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जोकि जैविक उत्पाद के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। बढ़ते स्वास्थ्य और पर्यावरण चेतना के कारण जैविक उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना कृषि उपज का उत्पादन किया जाता है। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद कुल 34 लाख में से 16 लाख जैविक उत्पादों के बाजार में भारत का योगदान केवल 2.7 प्रतिशत है। परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं, अपर्याप्त रसद अवसंरचना, बिखरा हुआ और खंडित उत्पादक आधार, ज्ञान भंडार की कमी, भारतीय बाजार की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। चौथी सबसे बड़ी जैविक जोत होने के बावजूद ये मद्देभारत को पिछड़ा बना रहे हैं। सहकारिता के समावेश विकास मॉडल का उपयोग करके यह "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य की प्राप्ति में सहकारी सदस्यों को अपनी जैविक वस्तुओं के लिए उच्च कीमतों का एहसास होने और समुदाय द्वारा उत्पादित अधिषे से लाभ प्राप्त करने से लाभ होगा। स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय बीज सहकारी समिति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में काम करेगी। बीजों की सालाना आवश्यकता 787 लाख किंटल है, इनमें से केवल 372 लाख किंटल की आपूर्ति संगठित क्षेत्र द्वारा की जाती है। बाकी 415 लाख किंटल असंगठित क्षेत्र में हैं, जोकि खुद किसानों से आयतित है। भारत में रूपये 40,000 करोड़ के बीज बाजार में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र का दबदबा है जहां किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है।

Title: बहुराज्यीय विभिन्न सहकारी समितियों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Name of Newspaper: रैस्टवे एक्सप्रेस

Date of Publication: 18.01.2023

Page No. 2

Author: Shri RK Sharma, Director RICM Chandigarh

Circulation – 8,000

સહકારી સંસ્થાઓ દેશમાં ગ્રામીણ આર્થિક પરિવર્તનની ચાવીરૂપ

દેશમાં ૮.૫૪ લાખ રજિસ્ટર્ડ સહકારી સંસ્થાઓ છે જેમાં ૨૯ કરોડથી વધુ સભ્યો છે : ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સીમાંત અને ઓછી આવક ધરાવતા જૂથોમાંથી

સહકારી સંસ્થાઓ લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં હાજરી ધરાવે છે. કૃષિ (ખાદ્ય અનાજ, કઠોળ, તેલીબિયાં, વગેરે), બાગાયત (ફળો, શાકભાજી, ફૂલો, સુગંધિત ઉત્પાદનો, વગેરે), ડેરી, મરઘાં, પશુધન, મત્સ્યોદ્યોગ, ખાંડ, મસાલા (એલચી, મરી, લવિંગ, કેસર, હળદર, વગેરે), ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો, ખાતર, હેન્ડલૂમ, હસ્તકલા, કાપડ, ચા/કોફી, નાની વન પેદાશો, આયુર્વેદિક/હર્બલ દવાઓ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, ચામડું, વગેરે.

સહકારી સંસ્થાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે દા.ત. રાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થામાં સહકારી સંસ્થાઓ ખાતર ઉત્પાદનમાં ૨૮.૮૦%, ખાતર વિતરણમાં ૩૫.૦૦%, ખાંડના ઉત્પાદનમાં ૩૦.૬૦% અને દૂધના વેચાણક્ષમ સરપ્લસની પ્રાપ્તિમાં ૧૭.૫૦% ફાળો આપે છે. આમાંના ઘણા ઉત્પાદનોની ઘણા દેશોમાં ભારે માંગ છે પરંતુ છત્ર

સહકારી મંડળીની ગેરહાજરીમાં, સહકારી ઉત્પાદનો/સેવાઓની નિકાસની સંભાવના ખૂબ જ વણઉપયોગી રહે છે. સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા નિકાસની વૃદ્ધિ માટે પૂરતા નાણાં, નિકાસ અભિગમ, પર્યાપ્ત માળખાકીય સુવિધા, માનકીકરણ, બજાર જાગૃતિ, ઉત્પાદનોનું પ્રમાણપત્ર વગેરે કેટલાક પરિબળો જરૂરી છે. દેશની નિકાસ બાસ્કેટમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવા માટે સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા નિકાસ કરી શકાય તેવી સ્થાનિક સરપ્લસ, કાર્યકારી મૂડી, લોજિસ્ટિક્સ, તકનીકી જાણકારી અને તાલીમના એકત્રીકરણ માટે યોગ્ય સંસ્થાકીય સમર્થન જરૂરી છે. પરિણામે, ભારતીય સહકારી ક્ષેત્રની વ્યાપક હાજરી અને અર્થતંત્રમાં તેના નોંધપાત્ર યોગદાન હોવા છતાં, માત્ર થોડીક જ સહકારી સંસ્થાઓ સીધી નિકાસમાં સામેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, દેશના કુલ ખાંડના ઉત્પાદનમાં સહકારી

સંસ્થાઓનો ફાળો એક તૃતીયાંશ હોવા છતાં, સહકારીની ખાંડ મિલોની સીધી નિકાસ કુલ ખાંડની નિકાસના ૧% કરતા ઓછી છે.

ચાર અગ્રણી સહકારી સંસ્થાઓ જેમ કે. ઇન્ડિયન ફાર્મસ ફર્ટિલાઈઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ, કૃષક ભારતી કોઓપરેટિવ લિમિટેડ, નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ અને નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એકસાથે આવ્યા છે. દરેક ૧૦૦ કરોડનું યોગદાન આપીને નિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરની બહુ-રાજ્ય સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરો અને તે એમએસસીએસ અધિનિયમ અને નિયમો, ૨૦૦૨ હેઠળ નોંધવામાં આવશે. MSCS એક્ટની કલમ ૧૧૬(૧) હેઠળ બીજી સૂચિમાં સુધારો કરીને મંડળીને રાષ્ટ્રીય સહકારી મંડળી તરીકે સૂચિત કરવામાં આવશે.

Title : Cooperative Societies Key to Rural Economic Transformation of India
News Paper – Gandhinagar Samachar | 18/01/2023 | Circulation – Around 50,000

National Co-operative Exports to deal with agriculture, textile and handicrafts

Prabhudatta Mishra

New Delhi

The newly-approved National Co-operative Exports Ltd (NCEL) will cover agriculture and allied activities as well as handloom and handicrafts items by enrolling a large number of co-operatives under its fold. It will have a target to double its revenue by 2025 from the current level of about ₹2,160 crore among 10 major co-operatives that will be its members.

NCEL will have an authorised share capital of ₹2,000 crore, in which the initial paid-up share capital will be ₹500 crore to be contributed equally by Indian Farmers Fertilizer Cooperative (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Feder-

ation of India (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF) and National Cooperative Development Corporation (NCDC), sources said.

MAIN ISSUES

Initially, the registered office will be in New Delhi and NCEL will start operating from GCMMF's Delhi office, sources said. In the co-operative sector, the export turnover of GCMMF, which owns the AMUL brand, was highest at ₹1,530 crore, whereas its turnover was ₹46,481 crore in 2021-22. In all the other co-operatives, the revenue from export is even lower against turnover, officials pointed out.

"Sufficient finance, export orientation, adequate infrastructure, standardisation, market awareness and certification of products are some of

the main issues that need to be addressed for growth of exports by cooperatives," an official said. Proper institutional support for aggregation of domestic surplus, working capital, logistics, technical know-how and training are required by the cooperatives to raise their share in export basket, the official added.

"Only a few co-operatives are directly involved in exports despite their widespread presence and substantial contribution in the economy," the official said, adding NCEL could easily help double the export turnover of co-operatives in the next two years. As there is no financial contribution by the Centre or its interference in the management of NCEL, the society is likely to operate purely as a business entity, similar to what AMUL has demonstrated, the official said.

আধিকারিকের অফিস ও পক্ষায়ত অফিসে এই ফর্ম পাওয়া যাবে।

**করোনায় আতঙ্কিত না হয়ে ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন।
সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলুন।**

কৃষি খাতে এ-বার তৈরি হবে তিন সমবায় সমিতি গড়বে কেন্দ্রীয় সরকার

কলকাতাঃ মন্ত্রীসভার বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার। বুধবার কৃষি খাতে ৩টি সমবায় সমিতির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের বীজ সরবরাহ, উৎপাদিত জৈব পণ্য বাজারজাতকরণ এবং কৃষি পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে ৮ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত ২৯ কোটি সদস্য। এই সদস্যরা প্রধানত কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কাজ করেন।

সমবায় সমিতি কীঃ সমবায় সমিতি এমন সংগঠন, যেখানে ১০ জন বা তার বেশি সদস্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন। দেশে দুধ, চিনি, সার এবং আবাসনের ক্ষেত্রে একাধিক সমবায় সমিতি রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ।

এখনও কেন টাকা চুকছে না? প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার ১৩তম কিস্তি পিছিয়ে যাওয়ার কারণটা এটাই নয় তো? জাতীয় পর্যায়ে কৃষকদের জন্য কোনও সমবায় সমিতি নেই? কৃষকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বীজ। কৃষকরাই বীজের প্রাথমিক উৎপাদক এবং ভোক্তা। কিন্তু বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকটি সমবায় সমিতিই বীজের ব্যবসা করে থাকে। একেত্রে জাতীয় পর্যায়ে কোনও কার্যকরী সমবায় সমিতিও নেই। এখন দেখে নেওয়া যাক, কোন তিনটি সমবায় সমিতি থাকবে এবং তাদের কাজ কী হবে।

ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতিঃ বীজ উৎপাদন ও সরকারিভাবে সংগ্রহের পাশাপাশি এই কমিটি এককব্র্যান্ডের অধীনে কৃষকদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ

করবে। এর জন্য সমবায়ের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে। এতে বীজ প্রতিস্থাপন হার এবং বীজের বৈচিত্র্য প্রতিস্থাপন হার অর্জনে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আই.এফ.সি.-ও, কে.আব.আই.বি.এইচ.সি.-ও., এন.এ.এফ.ই.ডি, এন.ডি.ডি.বি এবং এন.সি.ডি.সি এই জাতীয় জুয়ের সমবায়গুলির প্রচার করবে। পাশাপাশি প্রচারের মূলধনও জোগাবে। এই সোসাইটির প্রধান প্রবর্তক হবে কে.আর.আই.বি.এইচ.সি.-ও দীপাবলিতেই রাজ্য নামবে BVD Seal! আসছে নতুন প্রিনিয়াম ইনোভেটিক সেডান।

ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিকঃ এই সমিতি জৈব পণ্য সরবরাহ করবে। সমবায়গুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেবে। স্বীকৃত অর্গানিক ল্যাব এবং সার্টিফিকেশন এজেন্সিগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে কৃষকদের পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশনের সুযোগ করে দেবে। এই কমিটি পাইমার্সি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি এবং ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে জৈব পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের আর্থিক সহায়তাও প্রদান করবে।

ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্টঃ এই সমিতি সমবায় এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের উদ্বৃত্ত পণ্য ও পরিসেবা রপ্তানির জন্য ছাড়া সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। ট্রেডিং, সরকারি ক্রয়, স্টোরেজ, প্রসেসিং, মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং, প্যাকেজিং, সার্টিফিকেশন থেকে শুরু করে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ পর্যন্ত, সবই পাওয়া যাবে এখান থেকে। — নিউজ ১৮ বাংলা।

অধ্যাপক শুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের

(প্রথম পাতার পর)
বেঙ্গল টেবল অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিস।
এই প্রথম অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়-
এর তন্মশত বারিকী উৎসব-এর সূচনা হল।
তার অসংখ্য গুণগ্রাহী উৎসাহী হয়ে এরকম
আবেদন অনুষ্ঠান করে অধ্যাপক
চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করবেন, স্বাধীন
করবেন ও কৃষি ক্ষেত্রে তার অবদানকে
স্বীকার করবেন।

ড. ডি.ডি. পাত্র, ডাইরেক্টর,
হুসাইনিয়াত সার্বিক এগ্রিকালচারাল সার্ভিস

আদর্শ, চিন্তা ভাবনা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে
দেওয়ার অস্বীকার করার অনুরোধ করে সভা
শেষ করেন। অনুষ্ঠানে ২০জন প্রগতিশীল
কৃষককে জে.আই.সে কৃষি সন্মান ও
প্রগতিপত্র প্রদান করা হয়। অনেক কৃষক
তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। জে.আই.সে.-
এর কৃষি বিভাগের পরামর্শদাতা পরিচোষ
সিন্ধা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি
স্বয়ংসেবামূলক সংস্থা ছাড়া-ছাড়া ভর্তি
হবে কোনও না-আমাদের নিয়ে প্রকৃত উৎসাহ

বাদামি ছিটেদাগ রোগ প্র
প্রতিরোধের জন্য প্রোপিকোর
শতাংশ ই.সি. প্রতি লিটার
হারে/সবুজ শ্যামা ও বাদা
পোকা দমনের জন্য ক্রোথিয়
শতাংশ ডব্লিউ.ডি.জি. প্রতি লিটার
গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন। এ
জমিতে বোর ধান রোয়া
মূলসার হিসেবে একর প্রতি
হারে সিঙ্গেল কসফেট, ২৪
মিউরিয়াট অব পটাশ, ৩০
ইউরিয়া এবং ১৫০ কেজি হারে
প্রয়োগ করুন। খাস, মুখা ৩
জাতীয় আগাছা নিয়ন্ত্রণের
রোয়ার তিন দিনের মধ্যে ৫
৫০ শতাংশ ই.সি. একর
মি.সি. হারে ২০ কেজি ব
মিশিয়ে প্রয়োগ করে দুই খে
জল ধরে রাখুন।

গমঃ এই সময় জলদি বে
জমিতে দ্বিতীয় চাপান সার হি
প্রতি ২১ কেজি হারে ইউরিয়া
করুন ও জলসেচ দিন।

বেগুনঃ এখন সংকর জাতের
উটা ও ফলছিন্নকারী পোকা
জন্য গাছ প্রতি ৫ গ্রাম হা
হাইড্রোক্লোরাইড ৪ শতাংশ
সুখম বৃদ্ধির জন্য গাছ প্রতি ১
বুজি নিয়ন্ত্রক দানা এবং প্রয়ে
একত্রে মিশিয়ে গাছের গো
ইঞ্চি দূর দিয়ে প্রয়োগ করুন।
ও জলসেচ দিন। এ ছাড়া
সবুজমাছি, জাব পোকা, এ
নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিপ্রোথিলা
এস.সি. প্রতি লিটার জলে
হারে এর সঙ্গে খাম্বামেথে
শতাংশ ডব্লিউ.পি. প্রতি লিটার
হারে একত্রে মিশিয়ে / পাতার
প্রতিকর ও প্রতিরোধের জন্য
৬৩ শতাংশ ডব্লিউ.পি. + কার্বে
শতাংশ ডব্লিউ.পি. প্রতি লিটার
প্রয়োগ করুন।

উন্নত মানের উ

চাপড়া ধা

পবাতন

Title : Cooperative Entrust in Export Business
News Paper – Sabujsona, West Bengal | 18/01/2023 | Page No.2 | Circulation – 6,000

Setting up of a National Level Multi-State Cooperative Export Society under Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002

Shri Kh Rangamlian Aimol

Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal

(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

There are 8.54 Lakh registered cooperatives in the country having more than 29 Crore members especially from the marginalised and lower income groups in the rural areas. In Manipur, there are 12396 registered cooperatives with a membership of 688062 covering the districts. Cooperatives have presence in almost all sectors viz. agriculture (food grains, pulses, oilseeds, etc.), horticulture (fruits, vegetables, flowers, aromatic products, etc.), dairy, poultry, livestock, fisheries, sugar, spices (cardamom, pepper, clove, saffron, turmeric, etc.), organic products, fertilizer, handloom, handicraft, textile, tea/coffee, minor forest produce, ayurvedic/herbal medicines, processed food, leather, etc.

Hon'ble Prime Minister of India has also observed that all efforts should be made to leverage the strengths of cooperatives and transform them into successful and vibrant business enterprises to realize the vision of "Sahakar-se-Samridhi" as cooperatives hold the key to rural economic transformation in the country especially in agriculture and allied sectors with the promise of growth with equity. In order to realise this, it is important for the cooperatives to think globally and act locally to leverage their

comparative advantage in areas of agriculture, horticulture, dairy, poultry, livestock, fisheries, sugar, spices, organic products, fertilizer, handloom, handicraft, textile, tea/coffee, minor forest produce, ayurvedic/herbal medicines, processed food, leather, etc across the globe. It is, therefore, the Union Cabinet, has approved a historic decision to set up and promote a National Level Multi-state Cooperative Export Society under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 with support of all Ministries through their export related policies, schemes, agencies following the 'Whole of Government Approach'; for undertaking exports of all goods and services produced by cooperatives and related entities.

The society will carry out its activities through procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research and development etc. and trading of all types of goods and services produced by cooperatives and related entities. Four leading cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited

(KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have resolved to contribute '100 Crore each and become promoter members for establishing a national level multi-state cooperative society for exports.

The society will have an authorized share capital of '2,000 Crore and will be established with initial paid-up share capital of '500 Crore. It will raise funds through share capital, admission and other fee, loans, cash credits, commercial papers, overdraft of banks/FIs, grant-in-aid and subsidies from central and state governments, donations/contributions from members and other organizations with in India & abroad and profits. Thus, the national level multi-state cooperative export society will provide thrust to exports from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for promoting export which will help in unlocking export potential of Indian cooperatives in global markets.

... reduced to 142 per lakh population

Name of the Newspaper: Hills Hornbill Express

Date: 19-01-2023

Page No: 2

Title: Setting up of a National Level Multi-State Coop. Export Society under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002

Author: Shri Kh. Rangamlian, (Director (i/c), ICM, Imphal

Circulation – 2,000

সেটিং অপ ওফ এ নেসনল লেভেল মল্টি-স্টেট কোওপারেটিভ এক্সপোর্ট সোসাইটি অন্ডর মল্টি-স্টেট কোওপারেটিভ সোসাইটিজ (এম এস সী এস) এক্ট, ২০০২

Shri Kh Rangamlian Aimol

Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training,
New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

ঐখোয়গী ইরৈবাক ইরমদম অসিদা লাখ ৮.৫৪ কো-
ওপারেটিভ সোসাইটি রেজিষ্টর তৌদুনা লৈরি। মসিনা মেম্বর কোটি
২৯দি শেম্বীংলোন মরাং কাইনা লৈজদবা খুঙ্গংগী মফল্লা হেমা নল্লা
য়াওরি। অদুগা মণিপূরগী ওইনা রেজিষ্টর তৌবা কো-ওপারেটিভ
অসিনা লিশীং ১২গা চহম মরিফুতরাতরুকনি। মসিদা লাখ তরুকা
লিশীং মরিফুনিপালগা শুপ্রা হুশুফুনিথোইনা মেম্বরশিপ ওইনা
মণিপূরগী দিষ্ট্রিক্ট খুদিংদা লৈরি।

কোওপারেটিভ অসি হীরম খুদিংদা উবা ফংই। মমিং ওইনা
পল্লবদা লৌউ-শিংউ, হৈ-লৈ থাৰা, মূমদা শা-ঙা লোয়বা,
খুংশাগী ওইবা পোথোক, ফিশা লোনশাগী ওইবা পোথোক,
খুংশেমগী ওইবা পোথোক কয়ামরুমনিচিংবা যাওরি।

মসিদা ইকায়খুম্ভজরবা ইন্দিয়াগী প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিনা
মীংয়েং চংবীদুনা মসিদা হোংনজরিবশিং অসিবু মপাঙ্গল ফগংহু
দুনা হেমা ফবা অমদি মরা চেংপা ওইনবগীদমজা "Sahakar-
se-Samridhi" হায়বা মীংয়েং মখাদা কোওপারেটিভ অসিনা
লিখুন অমা ওইদুনা খুঙ্গং কয়াগী শেম্বীংলোন ফগংহনবদা মরু
ওইনা লৌউ-শিংউগী লমদা চাওখংহনবদা কাল্লাবা কয়ামরুম অমা
ওইগনি। অদুমক ওইনা মসিগী কাল্লাবশিং অসি ফংবগী হীরমদা
মমুং তানা খণ্ডনবগীদমজা মখাদা পল্লিবা হীরমশিং অসিবু গ্যান

তানা খণ্ডবা দরকার ওই।

মসিগীদমজা Multi State Cooperative Societies
(MSCS) Act, 2002 গী মখাদা National Level Multi
State Cooperative Export Society লিংখংনবা মিনিষ্ট্রি
কয়ামরুমগী অয়াবা যাওদুনা গভর্নমেন্টকী ওইবা অটৌবা খোঙথ্যাং
অমা ওইনা উবা ফংলি। মসিদা সোসাইটিগী পোথোকশিং অসি
সোসাইটিশিংনা procurement, storage, processing,
marketing অসিনচিংবশিং অসি শীজিগদুনা থবক থৌরম
কয়ামরুম অমা পাঙথোক্লি। মখোয়শিংসিগী মরজা মাঙজিল
থানা চংলিবা কোওপারেটিভ খরা পল্লবদা Indian Farmers
Fertilizer Coop. Limited (IFFCO), Krishak
Bharati Coop. Ltd. (KRIBHCO), National
Agricultural Coop. Marketing Federation of
India Ltd. (NCDC) অসিনা লুপা কোটি ১০০ খোমগংনদুনা
প্রমোটর ওইদুনা মল্টি স্টেটকী থাজা অফবা কোওপারেটিভ
সোসাইটি কয়ামরুম শেমগংলক্লি। অসুমা নেসনল লেভেল মল্টি
স্টেট কোওপারেটিভ এক্সপোর্ট সোসাইটিনা মসা মরেং ওইনা
কোওপারেটিভ সেক্টরশিংগী থবক থৌরম কয়ামরুমু চাওখংহনবা
অমদি মালেমদা শক তাকপদা অটৌবা থৌদাং অমা লৌরি।

পাউচে অসিদা ফোঙজরিবা বারেশিং অসিগী রাখল, মীংয়েং অইবা মশা ম

Title : Setting up of National Level Multi-State Coop. Export Society under Multi State Cooperative

Societies (MSCS) ACT, 2002| News Paper –Hueiyen Lanpao, Imphal | 19/01/2023 | Page No. 5 |

Circulation – 26,230

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इन अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ हैं-

1- बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति

2- बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति

3- बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति

उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति - इस सहकारी संस्था द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्ति, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज पर से देश की निर्भरता कम होगी।

बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति - यह समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। इस समिति के माध्यम से कृषक देश की सहकारी समितियों, सहकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होंगे एवं उच्च निर्यात से वस्तु एवं सेवा उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी हो पायेगा। समिति अतिरिक्त माल/सेवा के निर्यात द्वारा एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा। इस समिति में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ यथा प्राथमिक समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियाँ शामिल होंगी।

बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति- माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादों की मांग और खपत को अनलॉक करने में मदद करेगी। इसके अंतर्गत सहकारी समितियाँ एवं सदस्यों को एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पाद की उच्च कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एकत्रीकरण प्रमाणन, भंडारण संस्करण और अधिक आय के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त होगी। इस समिति के आ जाने से जैविक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला का श्रेष्ठतम प्रबंधन हो पायेगा। इन तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति के आ जाने से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपये के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी।

मॉडल उपनियम - सहकारी समितियों को गाँव स्तर पर एक जीवंत वित्तीय संस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने पैक्स के उपनियमों में आधारभूत परिवर्तन करने का कार्य किया है। इन परिवर्तन से ये समितियाँ 25 कृषि एवं अकृषि तथा साख एवं गैर साख क्षेत्रों में अपना व्यवसाय विविधिकरण कर आर्थिक रूप से सक्षम हो पायेंगे एवं अपने से जुड़े सदस्यों के अधिकतम लाभ को करवा पायेंगे। ये क्षेत्र हैं बीज वितरण, खाद्य वितरण, मत्स्य/दुग्ध /मृर्गापालन,कस्टम हायरिंग, फलोरीकल्चर, मधुमक्खी पालन इत्यादि। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

डॉ. एस. एन. झा, निदेशक, मनीष कुमार मिश्रा, संकाय सदस्य, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ

<https://cmgtimes.com/a-commendable-step-towards-prosperity-from-multi-state-co-operative-society.html>

संपादक - डॉ. एस. एन. झा, निदेशक, मनीष कुमार मिश्रा, संकाय सदस्य, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ

Title - बहुराज्यीय सहकारी समिति – सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

Website – CMG Times | 19.01.2023 | Online Unlimited

ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ರಫ್ತು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ದೇಶದಲ್ಲಿ 8.54 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 29 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಕೃಷಿ (ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಲುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ), ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಸುಗಂಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ), ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಚಾನುವಾರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೆಸಾರಿಗಳು (ವಿಲಕ್ಕಿ, ಮೀನು, ಲವಂಗ, ಕೀಸರಿ, ಅರಿಶಿನ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ, ಜವಳಿ, ಚಹಾ / ಕಾಫಿ, ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ / ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಚರ್ಮ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೊಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.80, ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.35, ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 30.60 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲಿನ ಸಂಭವತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.17.50 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು/ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾಗದೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು, ರಫ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರಿವು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ರಫ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುವಾರದ ದೇಶೀಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ.

ಕಾರ್ಯನಿರತರಾದವರೂ, ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಸಂಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಹಾರದ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯು ಹೊರಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರೂ, ಸಹಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 1% ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ವಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ (ಒಂಈಆಐ), ಗುಜರಾತ್ ಸಹಕಾರಿ ವಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ (ಉಆಐಒಈ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಲಾ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಬಹು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಚ್ಛೇದ 116(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಘವು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಘವು ವಿವಿಧ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಘವು ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನುಸುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ರಫ್ತು ಸಂಘವು ವಿವಿಧ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಘದ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫ್ಲಾಂಡಿಂಗ್, ಲೋಡಿಂಗ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಘವು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಧೃಢತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧೃಢತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ರಫ್ತು ಸಂಘವು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಫ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಿಕಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು

'ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರಿ-ಸೇ-ಸಮುದ್ರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಘವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆವರೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ, ಚಾನುವಾರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ, ಜವಳಿ, ಚಹಾ/ಕಾಫಿ, ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ/ಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಚರ್ಮ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಾ.ಬಿ. ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಎಂ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು

Title - Multi State Cooperative Export Society - Establishment and Opportunities
News Paper – NADANUDI Kannada Daily Newspaper, Karnataka | 19/01/2023 | Circulation –32,678

भारत सरकार ने बहु राज्य सहकारी अधिनियम को संशोधित कर खोला गावों में खुशहाली का रास्ता

देहरादून। भारत सरकार ने सहकारिता के समावेशी विकास का प्रतिरूपण सहकार से समृद्धि का मंत्र देकर किया, सहकारिता के विकास में नया अध्याय जोड़ा गया है। सहकारिता क्षेत्र हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ है, कृषि उत्पादकता, कृषकों की आय से जुड़ी हुई है। वर्तमान में विश्व में लगभग 34 लाख किसान जैविक माध्यम से कृषि उत्पादन करते हैं। जिनमें लगभग 16 लाख जैविक उत्पादक कृषक भारत से हैं देश की खुशहाली लाने के लिए गाँव की खुशहाली लानी होगी और उसके लिये गाँवों के किसान जो हमारी आवादी के लगभग 54.06 प्रतिशत हैं तथा देश के सकल मूल्य में उनका योगदान मात्र 17.08 प्रतिशत है, उसे बढ़ाने हेतु भारत सरकार तथा देश की राज्य सरकारें निरन्तर प्रयास कर रही हैं। हाल ही में 11 जनवरी 2023 को भारत सरकार की कैबिनेट ने तीन नये राष्ट्र स्तरीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। राष्ट्र स्तरीय बहु प्रदेशीय सहकारी निर्यात समिति (National Level Multi State Cooperative Export Society) राष्ट्र स्तरीय बहु- प्रदेशीय सहकारी आर्गेनिक समिति तथा राष्ट्र स्तरीय बहु- प्रदेशीय सहकारी बीज समिति है। सहकारी प्रबन्धन संस्थान देहरादून निदेशक अजय रस्तोगी व संकाय सदस्य डॉ अजय शर्मा ने बताया कि हमारा देश अपनी विविध जलवायु तथा आर्गेनिक परिस्थितियों के कारण जैविक कृषि उत्पादों की सभी किस्मों का उत्पाद करने में अधिक क्षमता रखता है। देश के कुछ हिस्सों में जैविक खेती विरासत के रूप में मिली है। इन संस्थानों की स्थापना का मूल उद्देश्य गाँव गाँव में सहकारी क्षेत्रों द्वारा निर्मित उत्पादों का मार्ग प्रशस्त करना होगा। ग्रामीण कृषि आय में वृद्धि होगी, गाँवों में बने उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करके गाँव के गरीब

किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य में भारत सरकार के सम्बन्धित सभी मंत्रालय एक जुट होकर किसानों द्वारा उत्पादित माल को निर्यात करने के मार्ग को आसान बना देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के प्रति सजगता नीव गति से बढ़ रही है और आर्गेनिक खाद्य पदार्थों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। आर्गेनिक खाद्य पदार्थों का मूल्य साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना होता है। अभी तक किसान आर्गेनिक उत्पाद करता भी है तो तकनीक प्रमाणीकरण और विपणन के अभाव में समुचित मूल्य से वंचित रह जाता है। भारत सरकार की इस पहल से उसे अपने उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। में कई गुना बहुराष्ट्रीय बीज सहकारी समिति की स्थापना से कृषि उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी। बीज प्रतिस्थापना दर (SRR Seed Replacement Rate) एवं विविधता प्रतिस्थापना दर (VRR Variety Replacement Rate) बढ़ेगा। हमारे देश में अधिकांश कृषक एक बीज को कई फसल चक्र में प्रयोग करते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादकता घट जाती है। तथा बीज की विविध किस्मों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। इस संस्था की स्थापना से उन्नतिशील बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी। बाजार में एक अनाज के विभिन्न उत्पादक संस्थाएँ अपन अपने नामों से बीजों का विपणन करती हैं तथा सभी उन्हें उन्नतिशील भूट (अधिक उपज देने वाली किस्म का बीज बतानी है), जिससे किसान प्रमित हो जाता है। इस संस्था के माध्यम से बीजों का एक अकेला ब्रांड नाम होगा समिति का कार्य, उत्पादन, भण्डारण प्रसंस्करण, ब्रांडिंग (ट्रेड मार्किंग करना), लेबलिंग करना, पैकिंग करना संग्रह करना, विपणन व उन्नतिशील बीजों का वितरण करना

आदि है। यद्यपि हमारा देश बीजों का निर्यात कई देशों को करता है, परन्तु इस व्यवसाय में हमारी सम्भाव्यता को देखते हुए निर्यात का स्तर कम है, जिसे गाँवों से, सहकारिता और गरीब किसानों से जोड़कर देश के गाँव गाँव में समृद्धता लायी जा सकेगी तथा वह दिन दूर नहीं होगा जब हर किसान के चेहरे पर मुस्कराहट नजर आएगी। गाँवों में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में प्रायः आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन मौजूदा भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हर नव युवक को रोजगार प्रदान करने का जो अन्तर्गत मार्ग दिखाया है, वह निश्चित रूप से देश के लिए गर्व का विषय है। सबसे अधिक परिश्रमी हमारा किसान है। खेती उसकी जीविका है परन्तु अपने उत्पाद का समुचित मूल्य न मिल पाना तथा विचौलियों द्वारा उसके उत्पाद के मूल्य का अधिकांश भाग हड़प लेना सबसे बड़ी त्रासदी है। भारत सरकार में कृषि उत्पादों तथा गाँव में सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं के लिए सीधा निर्यात का रास्ता खोलकर उनके सपनों को साकार करने का अन्तर्गत बीजा उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यात से जुड़े सभी मंत्रालय एक जुट होकर गाँव के बने उत्पाद को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर विश्व बाजार में विपणन करके गाँव गाँव में समृद्धता लाने का अन्तर्गत प्रयास कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को अनुकूल उत्पाद का प्रसंस्करण जहाँ एक ओर सहकारिता के अन्तर्गत गाँवों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगा, वहीं थोक इन इंडिया के द्वारा भारत की आत्म निर्भरता को भी बढ़ावेगा, विदेशी मुद्रा आवेगी तथा विश्व में मक इन इंडिया का परचम लहरावेगा तथा सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अतिरिक्त उत्कृष्ट उत्पाद का निर्यात धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था को बदलने में सक्षम हो सकेगा।

Title : भारत सरकार ने बहु राज्य सहकारी अधिनियम को संशोधित कर खोल गाँव में खुशहाली का रास्ता
News Paper – दैनिक जन लहर | 19/01/2023 | Page No. 4

Circulation – 6,800


National Export Cooperative Society to trade nano fertilizers, dairy products in 3 months

The Hindu Jan 20, 2023 Page 8

Vijaita Singh
NEW DELHI

Nano fertilizers produced by IFFCO and dairy products from Amul will be among the first few products that are expected to be exported by the first-ever National Export Cooperative Society that was approved by the Union Cabinet on January 11. The society's registration will be complete in the next few days and the first consignment will be exported in three months, a senior government official said on Thursday.

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), Guajrat Coopera-



Shot in the arm: The society will have an authorised share capital of ₹2,000 crore. GETTY IMAGES/IStockPHOTO

tive Milk Marketing Federation (GCMMF), better known as Amul, and National Cooperative Development Corporation (NCDC) will be the promoters of the society and contribute ₹100 crore each. The society will have an authorised share capital of ₹2,000 crore with the area

of operation all over the country. It will have its registered office in Delhi.

Though Amul and IFFCO currently export products to countries such as Brazil, the Philippines, Kenya and Canada, the proposed society is expected to enhance the scale and volume of exports.

"The society will benefit the smallest of farmer or artisan who has a good product but does not have access to the right platform. Through this society, they will get access to international market and good returns too. Once the product has been tested for international standards, the packaging and export will be done by the society," the official said.

'Think globally'

The official said there were 8.54 lakh registered cooperatives with more than 29 crore members. "Cooperatives need to think globally and act locally to leverage their comparative advantage in all economic areas. The focus will be on exporting the surplus available in the country in the cooperative sector," the of-

ficial said.

The society will be different from the Export Promotion Council under the Ministry of Commerce that only acts as a facilitator and provides information about the potential markets that can be tapped for a particular product.

"This society will provide end-to-end services to the cooperatives. It will open foreign bank accounts and complete all the formalities, including necessary permissions for exporting a product. The dividends will be shared with the manufacturer instantly and without any brokerage fee," the official said.

The proposed society will hire consultants in foreign countries who will help expand its footprint across continents.

सहकारातून देणार निर्यातीला चालना

निर्यात सहकार सोसायटीसाठी २००० कोटी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

सहकार क्षेत्रातील संस्थांकडून; तसेच कंपन्यांकडून उत्पादित होत असलेल्या वस्तूंची आणि सेवांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रीय निर्यात सहकार सोसायटी स्थापन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या सोसायटीच्या कामाला गती देण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावरील पाच सहकारी संस्था एकत्र आल्या आहेत. या सोसायटीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या प्राधिकृत भागभांडवल असणार आहे.

भागभांडवलाची रचना

- राष्ट्रीय सहकार निर्यात सोसायटीचे एकूण प्राधिकृत भागभांडवल दोन हजार कोटी रुपये असेल
- भरणा झालेले भांडवल (पेड अप कॅपिटल) ५०० कोटी रुपयांचे आहे
- इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को ऑपरेटिव्ह (इफको) या संस्थेचे योगदान १०० कोटी रुपये असेल
- अमूल या प्रसिद्ध ब्रँडअंतर्गत उत्पादने बाजारात आणणाऱ्या गुजरात को ऑपरेटिव्ह मिल्क



मार्केटिंग फेडरेशनचे योगदान १०० कोटी रुपयांचे आहे.

- कृषी भारती को ऑपरेटिव्ह (कृभको) संस्थेचे भांडवल १०० कोटी रुपये आहे.
- नॅशनल ऑग्रिकल्चरल को ऑपरेटिव्ह फेडरेशन म्हणजे नाफेड संस्थेचे भांडवल १०० कोटी रुपये आहे.
- नॅशनल को ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे एनसीडीसी या संस्थेने १०० कोटी रुपये योगदान दिले आहे.
- या पाच संस्था राष्ट्रीय सहकार निर्यात सोसायटीच्या प्रवर्तक संस्था राहणार आहेत.
- स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांपासून राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थांपर्यंतच्या सर्व सहकारी संस्था राष्ट्रीय सहकार निर्यात सोसायटीच्या सभासद होऊ शकतील.

सोसायटी करणार काय ?

- देशाच्या गरजा भागवल्यावर सहकारी क्षेत्रातील उरणारे अतिरिक्त उत्पादन निर्यात केले जाईल.

- खाद्य आणि अखाद्य उत्पादनाच्या निर्यातीला चालना देण्यात येईल.
- चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष निर्यातीला सुरुवात होईल.
- सहकार क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्यात करणारी सर्वात मोठी संस्था होण्यासाठी पुढील दोन ते तीन वर्षे लागतील.

सहकार क्षेत्राचे योगदान

- विविध क्षेत्रांत सहकारी संस्था काम करत आहेत.
- खतांच्या एकूण निर्मितीमध्ये सहकाराचा वाटा २८.८ टक्के आहे.
- खतांच्या वितरण उद्योगात ३५ टक्के सहकाराचा हिस्सा आहे.
- साखरेच्या उत्पादनात सहकार क्षेत्र ३०.६० टक्के योगदान देत आहे.
- दुधाच्या विक्रीयोग्य अतिरिक्त साठ्यामध्ये सहकाराचे योगदान १७.५० टक्के आहे.
- नोंदणीकृत सहकारी संस्थांची संख्या : ८.५४ लाख
- सहकारी संस्थांमध्ये सदस्यसंख्या : २९ कोटी
- कृषी, फलोत्पादन, दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन, पशुपालन, मत्स्योद्योग, सुगंधोत्पादन, साखर, मसाले, हस्तकला, वस्त्रे, चहा-कॉफी, आयुर्वेदिक उत्पादने अशा क्षेत्रांत सहकारी तत्त्वावर उत्पादन घेतले जात आहे.

Title - Boost to Export through Cooperatives

News Paper – Maharashtra Times , Pune | 20/01/2023 | Circulation – 10 Lakh

கூட்டுறவு கடன்
நிறுவனங்கள் மூலம்

விவசாயிகள் மேம்பாட்டுக்காக இடுபொருட்கள், கடன் உதவி

மதுரை, ஜன. 20: விவசாய வளர்ச்சிக்கு புதிய கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்றன என்று கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒன்றிய கூட்டுறவு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் இன்றியமையாத அமைப்பாக இருக்கிறது. நாட்டின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்களிப்பு வழங்குகிறது. நலிவடைந்த, புறக்கணிக்கப்பட்ட பிரிவினரின் மேம்பாட்டிற்கு இச்சங்கங்களை பேணிக்காத்து ஆதரிப்பது அவசியம். கூட்டுறவு கடன் நிறுவனங்கள் அடிமட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவ

துடன், விவசாய இடுபொருட்களையும் வழங்குகின்றன.

இதே போல் கடன் சாரா கூட்டுறவு சங்கங்கள் விவசாயிகளுக்கு விவசாய விளைபொருட்களை சேமித்து சந்தைப்படுத்த உதவுகின்றன. ஒன்றிய அரசின் கூட்டுறவு அமைச்சகம் அதன் சட்டம், கொள்கை, நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள் மூலம் தொடர்ந்து தீவிர முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஒரு கன்னி முயற்சியாக மாதிரி துணைச் சட்டங்களை உருவாக்குதல், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் கணிணிமயமாக்கல் நடந்து வருகிறது. கூட்டுறவு

அமைச்சகம் சமீபத்தில் மூன்று மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. மாநில கூட்டுறவு விதைகள் சங்கமானது, தரமான விதைகளின் உற்பத்தி, கொள்முதல், செயலாக்கம், முத்திரை, லேபிளிங், பேக்கேஜிங், சேமிப்பு, சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றிற்கான ஒரு உச்ச அமைப்பாக செயல்படுகிறது. இதேபோல், மாநில இயற்கை வேளாண் கூட்டுறவு சங்கமானது, சான்றளிக்கப்பட்ட மற்றும் உண்மையான இயற்கை வேளாண் பொருட்களை வழங்குகிறது. மேலும், மாநில கூட்டுறவு ஏற்றுமதி சங்கமானது உலகளாவிய சந்தைகளில் இந்திய கூட்டுறவுகளின் ஏற்

றுமதி திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் சிறந்த விலையை அடைவதற்கும், உபரியிலிருந்து விநியோகிக்கப்படும் டிவிடெண்ட் மூலமாகவும் பயனடைய உதவும். இந்தப் புதிய வரவுகள், மாநில அளவிலான விவசாயக் கூட்டுறவுகளின் பலத்தை அதிகரித்து, அவற்றின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்து, அவைகளை வெற்றிகரமான மற்றும் துடிப்பான வணிக நிறுவனங்களாக மாற்றுவதன் மூலம், அகில இந்திய அடிப்படையில் விவசாய கூட்டுறவுகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கும்.

Title : Input and credit support through multi-state cooperative societies

News Paper – Dinakaran, Tamilnadu | 20/01/2023 | Page No.6 | Circulation – 47,412

5 सहकारी समितियां राष्ट्रीय निर्यात बढ़ाएंगी

संजीव मुखर्जी और एजेसियां
नई दिल्ली, 19 जनवरी

सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के निर्यात के लिए केंद्र की नई बहु राज्य सहकारी समिति के पास 2000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी होगी और पांच मौजूदा सहकारी समितियों द्वारा 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी का योगदान होगा।

ये भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) अमूल के निर्माता और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई सहकारी समिति उन तीन नई बहु राज्य सहकारी समितियों का हिस्सा है जो केंद्रीय कैबिनेट के एक हालिया निर्णय के हिस्से के रूप में बनाई जा रही हैं। सूत्रों ने कहा कि नई सहकारी समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा और भारत भर में कोई भी सहकारी समिति चाहे वह राज्य के



नई बहुराज्य सहकारी समिति के पास 2000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी होगी

कानूनों या केंद्रीय कानून द्वारा शासित हो, अपने उत्पादों के निर्यात और नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए नए निकाय का सदस्य बन सकती है। समिति सहकारी क्षेत्र के साथ देश में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी। सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए नए बाजारों की तलाश करेगी, वैश्विक क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देगी और विश्व स्तर पर उनकी मांग बढ़ाने में मदद करेगी। नया सहकारी

निर्यात योग्य अधिशेष, कार्यशील पूंजी, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए उचित संस्थागत सहायता भी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सहकारी समितियां अपने सदस्यों को अपने उत्पादों की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास और व्यापार सहित सभी समर्थन भी प्रदान करेंगी।

पिछले सप्ताह, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जैविक उत्पादों, बीजों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी जैविक समिति, सहकारी बीज समिति और सहकारी निर्यात समिति का पंजीकरण किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि लदान इसी वित्त वर्ष से शुरू होने की उम्मीद है और इस निर्यात समिति को एक बड़ा निर्यात केंद्र बनने में 2-3 साल लगेंगे।

1569 | क्षेत्रीय मंडियों के



सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में साबित होंगी मील का पत्थर

वाराणसी (एसएनबी)। देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। जिसमें बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति व बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति है। उक्त बातें इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. एसएन झा ने एक विज्ञप्ति में दी।

उन्होंने कहा की सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात एक तरफ जहां हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। वहीं इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के संकाय सदस्य मनीष कुमार मिश्रा ने कहा की बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति द्वारा गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्ति, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज

बहुराज्यीय सहकारी समिति- सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

पर से देश की निर्भरता कम होगी। बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा इस समिति के माध्यम से कृषक देश की सहकारी समितियों, सहकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में

सहायक होंगे एवं उच्च निर्यात से वस्तु एवं सेवा उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी हो पायेगा। इस समिति में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां यथा

प्राथमिक समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादों की मांग और खपत को अनलॉक करने में मदद करेगी। इन तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति के आ जाने से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी।

सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में साबित होंगी मील का पत्थर

विरोध

★ बहुराज्यीय सहकारी समिति -
सहकार से समृद्धि की ओर एक
सराहनीय कदम

भारत एकता टाइम्स, वाराणसी

देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। जिसमें बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति व बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति है। उक्त बातें इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. एसएन झा ने एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा की सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा की उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात्

एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। वहीं इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के संकाय सदस्य मनीष कुमार मिश्रा ने कहा की बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्ति, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज पर से देश की निर्भरता कम होगी। बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

UPCM News January 20, 2023



इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक, डॉ० एस० एन० झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इन अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं।

इन समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएँगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पाँच ट्रिलियन डॉलर के

अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपये के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा।

परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुसंधान संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजुदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

Title : बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

News Paper – UPCM News – New Agency | 20/01/2023 |



बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को मिली मंजूरी

भास्कर ब्यूरो

फिरोजाबाद । डॉ० एम० के० झा,संकाय सदस्य इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन से एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात



समिति की स्थापना और इसके संवर्धन को मंजूरी दे दी है। सम्बंधित केंद्रीय मंत्रालय, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए अपनी निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित समिति को समर्थन प्रदान करेंगे। यह समिति सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। जहां समिति के आने से सदस्य, एक ओर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर वे समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश द्वारा भी लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित समिति के माध्यम से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की प्रभावी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी एवं यह समितियां सहकारी योजनाओं एवं नीतियों से भी लाभान्वित हो पाएंगे परिणाम स्वरूप उच्च निर्यात के लक्ष्य प्राप्ति के साथ वस्तु एवं सेवा उत्पादन में अभिवृद्धि के कारण अधिक से अधिक रोजगार सृजन भी हो पाएगा। प्रस्तावित समिति के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात के कारण सहकारी समितियां, विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे।

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा

बरेली(बरेली की आवाज)। इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक, डॉ० एस० एन० झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं।

इन समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन

होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएँगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पाँच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वाँछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपए के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का

कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

या फिर पाकिस्तान हो, कहीं भी संकट ना रहे। हम के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा है कि देश में मौजूदा



संकट में धकेलने का काम किया।

बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

पब्लिक एशिया ब्यूरो

लखनऊ। इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक, डॉ.एस.एन.झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं। इन समितियों के



गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएँ एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का

निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्त करने को साकार करने में भी अपना वाञ्छित सहयोग प्रदान कर पाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपए के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को

सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजुदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

Cabinet approves Setting up of three National level Multi State Cooperative Societies under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act., 2002 viz. National Cooperative Export Ltd., National Level Multi State Cooperative Seed Society and National Level Multi State Cooperative on Organic Produce

Multi-State Cooperative Organic Society

The total size of world organic food market by retail sales in 2020 was around ₹ 10 lakh crore of which USA, Germany and France contributed to 64%. There are around 34 lakh organic producers in 190 countries with land coverage of 749 lakh hectares (1.6% of total agricultural land of the world) of which Australia has largest land coverage of 387 lakh hectares.

India ranks 4th with 27 lakh hectares of organic land of which 7.6 lakh hectares is in Madhya Pradesh, 3.5 lakh hectares is in Rajasthan and 2.8 lakh hectares is in Maharashtra. Out of total 34 lakh organic producers in the world, 16 lakh are from India. Certified Indian organic product retail sales market is around ₹ 27,000 crore which includes export of ₹ 2000 crore. India accounts for only 2.70% of world organic market and thus has a huge potential to expand. Growing health and environmental consciousness are the key drivers of demand for organic products which are unique and have niche market among global consumers. Despite having largest number of organic producers in the world, our contribution in organic product market is less due to smaller land holding, per producer and inadequate yield.

India is bestowed with lot of potential to produce all varieties of organic products due to its diverse agro climatic conditions. In several parts of the country, the inherited tradition of organic farming is an added advantage especially in North Eastern Region (NER), where Sikkin was declared as fully organic state in 2016. There are 9 states having more than 5% of their net sown area under organic farming. Six of these states are from NER and other three are Madhya Pradesh, Uttarakhand and Goa.

Absence of effective institutional mechanism to promote organic products on sustainable basis, lack of testing and certification facilities at close proximity at affordable cost, scattered & fragmented producer base, inadequate logistic infrastructure, lack of knowledge repository, lack of innovative research & development, lack of concerted efforts to replicate the successful models of organic farming on all India basis and lack of identification & development of organic cultivation clusters and linking it with markets are main challenges which needs to be addressed.

There are 8.54 lakh registered cooperatives in the country having more than 29 crore members especially from the rural areas engaged in activities related to agriculture and allied sector. This strength of the cooperative sector can be utilised for development of organic clusters and its entire supply chain.

Three leading cooperatives viz. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), National Cooperative Consumers Federation of India Limited (NCCF) and other two national level organizations viz. National Dairy Development Board (NDDB) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have resolved to contribute ₹ 20 crore each and become promoter members for establishing a national level multi-state cooperative society for organic products. The proposed society will have an authorized share capital of ₹ 500 crore and will be established with initial paid-up share capital of ₹ 100 crore. It will have area of operation all over the country. Initially, the registered office will be at NDDB, Head Office, Anand, Gujarat.

The proposed society will provide institutional support for aggregation, certification, testing, procurement, storage, processing, branding, labelling, packaging, logistic facilities, marketing of organic products and arranging financial assistance to the organic farmers through its member cooperatives including Primary Agricultural Credit Societies (PACS) / Farmers Producer Organizations (FPOs). It will take up various activities for development related activities of organic products with the help of various schemes and agencies of the Government. It will empanel accredited organic testing labs and certification bodies which meet the criteria specified by the society to bring down the cost of testing and certification.

The proposed society will manage entire supply chain of organic products produced by cooperatives and related entities through member cooperatives. It will adopt various business models by utilizing brand and marketing network of AMUL, and other agencies on chargeable basis and will develop the same simultaneously on its own. It will utilize the services of national level multi-state cooperative export society being set up under MSCS Act, 2002 for export marketing and thereby enhance reach & demand of organic products in global market. It will facilitate in providing of technical guidance, training and capacity building of organic producers and developing & maintaining dedicated market intelligence system for organic produce. While promoting organic farming, balanced approach will be maintained between regular mass farming and organic farming.

The proposed society will provide thrust to organic products from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for managing various activities related to organic sector. By providing certified and authentic organic products, it will help in unlocking demand and consumption potential of organic products in domestic as well as in global markets. This proposed society will also help cooperatives and ultimately their member farmers, in getting benefits of high price of organic products through aggregation, branding and marketing at large scale by facilitating testing and certification at affordable cost alongwith utilization of various related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focused manner through the 'Whole of Government Approach'. This will also help in achieving the goal of 'Sabka Saamridhi'.

National Level Multi-State Cooperative Seed Society

India with only 2.3% share in world's total land area has to ensure food security of its vast population, which is 17.7% of world population. In view of the fact, that the area under cultivation is unlikely to increase, thrust will have to be on raising productivity per unit of cultivated land.

Substantial increase in yield and quality of crops depends upon a number of factors viz. seeds, fertilizers, irrigation, plant protection measures and suitable agronomic practices. The response of all other inputs depends on quality of seeds to the large extent. It is estimated that the direct contribution of quality seeds to the total production is about 15-20% depending upon the crop and it can be further raised up to 45% with efficient management of other inputs. The use of poor quality seeds nullifies the utility of all agronomic practices and every other input applied to the crop.

For long, Indian farmers were mostly dependent on traditional varieties and seed requirements were met through Farm Saved Seeds (FSS) that resulted in low replacement rates. The use of traditional varieties of seeds coupled with FSS, also results in reduced crop production.

There are 8.54 Lakh registered cooperatives in the country having more than 29 Crore members. As farmers are both primary producers and consumers of seeds and as majority of the Indian farmers are members of at least one cooperative institution, these cooperatives can also be engaged for achieving desired Seed Replacement Rate (SRR) and Varietal Replacement Rate (VRR) by providing proper institutional support. Thus, the strength of cooperatives, as available to them by virtue of its large membership base amongst farmers can be harnessed for purpose of production, expansion of upgraded testing facility and seed variety trials, which may be instrumental in reducing yield gaps.

Three leading national cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Co-operative Limited (KRIBHCO) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) along with two statutory bodies, viz. National Dairy Development Board (NDDB) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have joined hands to contribute ₹ 50 crore each and become promoter members for establishing a national level multi-state cooperative seed society. This society will be registered under MSCS Act and Rules, 2002 and will be notified as a national cooperative society by amending Second Schedule under section 116(1) of the MSCS Act.

The society will have an authorized share capital of ₹ 500 Crore and it will be established with initial paid-up share capital of ₹ 200 Crore. Initially, the office of the proposed society will be located in Delhi. It will have area of operation all over the country. Cooperatives at all levels, including from primary to national, which are interested in seed business will be eligible to join the proposed society as members. The society will function in accordance with cooperative principles for social and economic betterment of its members.

The proposed society will function through Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS), Multi-State Cooperative Societies (MSCS) and federations at district, state and national level by involving all forms of cooperative structures and all other means to increase the SRR, VRR by ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production and distribution of certified seeds with a brand name as well.

The proposed society will perform its activities with focus on production, testing, certification, procurement, processing, storage, branding, labelling and packaging of all three generations of seed, breeder, foundation and certified through PACS by leveraging various schemes and policies of different ministries of Government of India in a focused manner through 'Whole of Government Approach'. Special support would be provided by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare through its agencies such as Indian Council of Agricultural Research (ICAR), National Seeds Corporation Limited (NSC) and related agencies for production and distribution of quality seeds in general and development of new varieties through latest techniques in particular. This will also help in achieving the goal of 'Sabka Saamridhi' through the inclusive growth model of cooperatives where the members would benefit both by realization of better prices by production of quality seeds, higher production of crops by use of High Yielding Variety (HYV) seeds and also by dividend distributed out of the surplus generated by the society.

The proposed society will help to increase the seed replacement rate, varietal replacement rate, ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production and distribution of certified seeds with a single brand name, by utilizing the network of all levels of cooperatives. The availability of quality seeds will help in increasing agricultural productivity in strengthening food security and also increasing the income of the farmers.

The Indian traditional national seeds, are being gradually replaced by genetically modified high yielding variety seeds. These traditional seeds would soon become out of practice. In order to prevent these seeds from being extinct, the society would develop and put in place a system for preservation of these seeds.

As per Agricultural Statistics 2020 published by Directorate of Economics & Statistics under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, contribution of agriculture sector is approx. 42.60% in total employment of country. Further as per data

published by National cooperative Union of India (NCUI), approx. 13.30% of direct employment is generated by cooperative sector. Quality seeds production through this proposed society will increase the agriculture production in the country thereby leading to more employment in the agriculture and cooperative sector, processing, marketing and distribution of quality seeds will also generate additional employment in these sectors, thus providing boost to rural economy, promoting 'Make in India' and leading to Atmanirbhar Bharat.

Multi-State Cooperative Export Society

There are 8.54 Lakh registered cooperatives in the country having more than 29 Crore members especially from the marginalised and lower income groups in the rural areas.

Cooperatives have presence in almost all sectors viz agriculture (food grains, pulses, oilseeds, etc.), horticulture (fruits) vegetables, flower aromatic products, etc.) dairy, poultry, livestock (beef, sugar, spices (cardamom, pepper, clove, saffron, turmeric, etc.), organic products, fertilizer, handloom handicraft, textile, leaf/roffe, minor forest produce, ayurvedic/herbal medicines, processed food, leather, etc.

Cooperatives contribute substantially in various sectors e.g. cooperatives contribute 28-80% in fertilizer production, 35.00% in fertilizer distribution, 30-60% in sugar production and 17.50% in procurement of marketable surplus of milk in the national economy. Many of these products have a huge demand in many countries but in the absence of an umbrella cooperative society, the export potential of cooperative products/services remains hugely untapped.

Sufficient financial, export orientation, adequate infrastructure, standardization, market awareness, certification of products, etc., are some of the factors needed for growth of exports by cooperatives. Proper institutional support for aggregation of exportable domestic surplus, linking capital logistics, technical know-how and technical assistance are required by the cooperatives to make significant contribution to the country's export basket. As a result, despite the widespread presence of the Indian cooperative sector and its potential contribution in the economy, only a few cooperatives are directly involved in exports. For example, though cooperatives contribute to one-third of country's total sugar production, direct exports by cooperatives sugar milk is less than 1% of total sugar exports.

Four leading cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Co-operative Limited (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have come together to establish a national level multi-state cooperative society for exports by contributing ₹ 100 Crore and it will be established with initial paid-up share capital of ₹ 200 Crore and will be established with initial paid-up share capital of ₹ 500 Crore. It will have area of operation all over the country. Initially, the registered office will be at New Delhi. Cooperatives at all levels, including from primary to national, which are interested in export activities will be eligible to join the proposed society as members. The proposed society will function in accordance with cooperative principles for social and economic betterment of its members through export promotion.

This society will promote exports through various activities including procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research and development, and trading of all types of goods and services produced by cooperatives and related entities. The proposed society will undertake in changing finance, provide technical guidance, help in training and capacity building, develop and maintain market intelligence system, and undertake any other such activities which will increase exports from the cooperative sector and other related entities.

The national level multi-state cooperative export society will provide thrust to exports from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for carrying out and promoting exports. This will help in unlocking export potential of Indian cooperatives in global markets. This will also help cooperatives in getting benefits of various export related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focused manner through 'Whole of Government Approach'. This will further help in achieving the goal of 'Sabka Saamridhi' through the inclusive growth model of cooperatives where the members would benefit both by realization of better prices through export of their goods and services and also by dividend distributed out of the surplus generated by the society.

The setting up of this society resonates with the observations of Prime Minister that efforts should be made to increase the strengths of cooperatives and transform them into successful and vibrant business enterprises as cooperatives hold the key to rural economic transformation in the country especially in agriculture and allied sectors with the promise of growth with equity. It is important for the cooperatives to think globally and act locally to leverage their comparative advantage in areas of agriculture, horticulture, dairy, poultry, livestock, fisheries, sugar, spices, organic products, fertilizer, handloom, handicraft, textile, leaf/roffe, minor forest produce, ayurvedic/herbal medicines, processed food, leather, etc. across the globe. *Source: Registrar of Cooperative Societies, A/8 (Administration)*

News Paper – Daily Telegrams, Andaman Nicobar |
21/01/2023 | Page No. 2 | Circulation – 3,800

the party ends on January 23. While speaking to reporters in Ahmedabad...

UNION CABINET CLEARS PROPOSALS

3 New Co-ops to Help Boost Exports, Seed Availability

National cooperatives for exports and seeds will be set up in New Delhi; cooperative for organic products will be headquartered at Anand in Gujarat.

Rahul.Tripathi@timesgroup.com

New Delhi: The Centre's push to reinvent cooperatives with the Union cabinet clearing proposals for setting up three cooperatives at the national level will help improve exports and availability of quality seeds to farmers, and enhance footprint of organic products in India and outside.

"Many products produced by cooperatives have a huge demand in many countries, but in the absence of an umbrella cooperative society, the export potential of cooperative services remains hugely untapped," a senior government official said.

While national cooperatives for ex-

ports and seeds will be set up in the national capital, the cooperative for organic products will be headquartered at Anand in Gujarat. The cooperation ministry has roped in the external affairs ministry and commerce department to provide support and share studies on demands in foreign countries to help boost cooperatives' exports.

While cooperatives contribute significantly to production in some sectors, their share in exports is miniscule.

For example, cooperatives account for 30.6% of the country's total sugar production, but direct exports by cooperative sugar mills is less than 1% of the total sugar exports, the cooperation ministry said in a note.

It further noted that cooperatives



FILE PHOTO

contribute substantially to various sectors such as 28.8% in fertiliser production, 35% in fertiliser distribution, and 17.5% in procurement of marketable surplus of milk in the national economy. However, many of them remain underutilised due to lack of in-

frastructure. "The export society will focus on exporting the surpluses available in the country in the cooperative sector by removing such inadequacies," a second official said. "This will enable the farmers to access wider markets."

As per official data, there are estimated 854,000 registered cooperatives in India with more than 100 million members, particularly the marginalised and low-income groups in rural areas. For organic products, India accounts for 2.7% of world organic production, having the third in the world after Australia and Argentina. India has 2.7 million hectares of land under organic cultivation at 2.7 million hectares.

Out of total 3.4 million organic producing farmers in the world, 2.7 million are from India, which is 79%. Indian organic production is estimated to be Rs 27,000 crore, which includes export of Rs 1,000 crore per the cooperation ministry.

© 2023 The Economic Times. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission of the publisher is prohibited. RNI NO: GU JENG/2014/54814. Editor: Vinay Pandey (Responsible for selection of news under PRB Act). Ahmedabad Office: 139, Ashram Road, Ahmedabad-9. Other offices: 7, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-2, 40/1 S&B Towers, M G Road, Bengaluru-1, PO Box No 57, Gloucester GL205 U K, Ahmedabad. Editor Officer Nos: (079) 26101111, (079) 26101112, (079) 26101113, (079) 26101114, (079) 26101115, (079) 26101116, (079) 26101117, (079) 26101118, (079) 26101119, (079) 26101120, (079) 26101121, (079) 26101122, (079) 26101123, (079) 26101124, (079) 26101125, (079) 26101126, (079) 26101127, (079) 26101128, (079) 26101129, (079) 26101130, (079) 26101131, (079) 26101132, (079) 26101133, (079) 26101134, (079) 26101135, (079) 26101136, (079) 26101137, (079) 26101138, (079) 26101139, (079) 26101140, (079) 26101141, (079) 26101142, (079) 26101143, (079) 26101144, (079) 26101145, (079) 26101146, (079) 26101147, (079) 26101148, (079) 26101149, (079) 26101150, (079) 26101151, (079) 26101152, (079) 26101153, (079) 26101154, (079) 26101155, (079) 26101156, (079) 26101157, (079) 26101158, (079) 26101159, (079) 26101160, (079) 26101161, (079) 26101162, (079) 26101163, (079) 26101164, (079) 26101165, (079) 26101166, (079) 26101167, (079) 26101168, (079) 26101169, (079) 26101170, (079) 26101171, (079) 26101172, (079) 26101173, (079) 26101174, (079) 26101175, (079) 26101176, (079) 26101177, (079) 26101178, (079) 26101179, (079) 26101180, (079) 26101181, (079) 26101182, (079) 26101183, (079) 26101184, (079) 26101185, (079) 26101186, (079) 26101187, (079) 26101188, (079) 26101189, (079) 26101190, (079) 26101191, (079) 26101192, (079) 26101193, (079) 26101194, (079) 26101195, (079) 26101196, (079) 26101197, (079) 26101198, (079) 26101199, (079) 26101200, (079) 26101201, (079) 26101202, (079) 26101203, (079) 26101204, (079) 26101205, (079) 26101206, (079) 26101207, (079) 26101208, (079) 26101209, (079) 26101210, (079) 26101211, (079) 26101212, (079) 26101213, (079) 26101214, (079) 26101215, (079) 26101216, (079) 26101217, (079) 26101218, (079) 26101219, (079) 26101220, (079) 26101221, (079) 26101222, (079) 26101223, (079) 26101224, (079) 26101225, (079) 26101226, (079) 26101227, (079) 26101228, (079) 26101229, (079) 26101230, (079) 26101231, (079) 26101232, (079) 26101233, (079) 26101234, (079) 26101235, (079) 26101236, (079) 26101237, (079) 26101238, (079) 26101239, (079) 26101240, (079) 26101241, (079) 26101242, (079) 26101243, (079) 26101244, (079) 26101245, (079) 26101246, (079) 26101247, (079) 26101248, (079) 26101249, (079) 26101250, (079) 26101251, (079) 26101252, (079) 26101253, (079) 26101254, (079) 26101255, (079) 26101256, (079) 26101257, (079) 26101258, (079) 26101259, (079) 26101260, (079) 26101261, (079) 26101262, (079) 26101263, (079) 26101264, (079) 26101265, (079) 26101266, (079) 26101267, (079) 26101268, (079) 26101269, (079) 26101270, (079) 26101271, (079) 26101272, (079) 26101273, (079) 26101274, (079) 26101275, (079) 26101276, (079) 26101277, (079) 26101278, (079) 26101279, (079) 26101280, (079) 26101281, (079) 26101282, (079) 26101283, (079) 26101284, (079) 26101285, (079) 26101286, (079) 26101287, (079) 26101288, (079) 26101289, (079) 26101290, (079) 26101291, (079) 26101292, (079) 26101293, (079) 26101294, (079) 26101295, (079) 26101296, (079) 26101297, (079) 26101298, (079) 26101299, (079) 26101300, (079) 26101301, (079) 26101302, (079) 26101303, (079) 26101304, (079) 26101305, (079) 26101306, (079) 26101307, (079) 26101308, (079) 26101309, (079) 26101310, (079) 26101311, (079) 26101312, (079) 26101313, (079) 26101314, (079) 26101315, (079) 26101316, (079) 26101317, (079) 26101318, (079) 26101319, (079) 26101320, (079) 26101321, (079) 26101322, (079) 26101323, (079) 26101324, (079) 26101325, (079) 26101326, (079) 26101327, (079) 26101328, (079) 26101329, (079) 26101330, (079) 26101331, (079) 26101332, (079) 26101333, (079) 26101334, (079) 26101335, (079) 26101336, (079) 26101337, (079) 26101338, (079) 26101339, (079) 26101340, (079) 26101341, (079) 26101342, (079) 26101343, (079) 26101344, (079) 26101345, (079) 26101346, (079) 26101347, (079) 26101348, (079) 26101349, (079) 26101350, (079) 26101351, (079) 26101352, (079) 26101353, (079) 26101354, (079) 26101355, (079) 26101356, (079) 26101357, (079) 26101358, (079) 26101359, (079) 26101360, (079) 26101361, (079) 26101362, (079) 26101363, (079) 26101364, (079) 26101365, (079) 26101366, (079) 26101367, (079) 26101368, (079) 26101369, (079) 26101370, (079) 26101371, (079) 26101372, (079) 26101373, (079) 26101374, (079) 26101375, (079) 26101376, (079) 26101377, (079) 26101378, (079) 26101379, (079) 26101380, (079) 26101381, (079) 26101382, (079) 26101383, (079) 26101384, (079) 26101385, (079) 26101386, (079) 26101387, (079) 26101388, (079) 26101389, (079) 26101390, (079) 26101391, (079) 26101392, (079) 26101393, (079) 26101394, (079) 26101395, (079) 26101396, (079) 26101397, (079) 26101398, (079) 26101399, (079) 26101400, (079) 26101401, (079) 26101402, (079) 26101403, (079) 26101404, (079) 26101405, (079) 26101406, (079) 26101407, (079) 26101408, (079) 26101409, (079) 26101410, (079) 26101411, (079) 26101412, (079) 26101413, (079) 26101414, (079) 26101415, (079) 26101416, (079) 26101417, (079) 26101418, (079) 26101419, (079) 26101420, (079) 26101421, (079) 26101422, (079) 26101423, (079) 26101424, (079) 26101425, (079) 26101426, (079) 26101427, (079) 26101428, (079) 26101429, (079) 26101430, (079) 26101431, (079) 26101432, (079) 26101433, (079) 26101434, (079) 26101435, (079) 26101436, (079) 26101437, (079) 26101438, (079) 26101439, (079) 26101440, (079) 26101441, (079) 26101442, (079) 26101443, (079) 26101444, (079) 26101445, (079) 26101446, (079) 26101447, (079) 26101448, (079) 26101449, (079) 26101450, (079) 26101451, (079) 26101452, (079) 26101453, (079) 26101454, (079) 26101455, (079) 26101456, (079) 26101457, (079) 26101458, (079) 26101459, (079) 26101460, (079) 26101461, (079) 26101462, (079) 26101463, (079) 26101464, (079) 26101465, (079) 26101466, (079) 26101467, (079) 26101468, (079) 26101469, (079) 26101470, (079) 26101471, (079) 26101472, (079) 26101473, (079) 26101474, (079) 26101475, (079) 26101476, (079) 26101477, (079) 26101478, (079) 26101479, (079) 26101480, (079) 26101481, (079) 26101482, (079) 26101483, (079) 26101484, (079) 26101485, (079) 26101486, (079) 26101487, (079) 26101488, (079) 26101489, (079) 26101490, (079) 26101491, (079) 26101492, (079) 26101493, (079) 26101494, (079) 26101495, (079) 26101496, (079) 26101497, (079) 26101498, (079) 26101499, (079) 26101500, (079) 26101501, (079) 26101502, (079) 26101503, (079) 26101504, (079) 26101505, (079) 26101506, (079) 26101507, (079) 26101508, (079) 26101509, (079) 26101510, (079) 26101511, (079) 26101512, (079) 26101513, (079) 26101514, (079) 26101515, (079) 26101516, (079) 26101517, (079) 26101518, (079) 26101519, (079) 26101520, (079) 26101521, (079) 26101522, (079) 26101523, (079) 26101524, (079) 26101525, (079) 26101526, (079) 26101527, (079) 26101528, (079) 26101529, (079) 26101530, (079) 26101531, (079) 26101532, (079) 26101533, (079) 26101534, (079) 26101535, (079) 26101536, (079) 26101537, (079) 26101538, (079) 26101539, (079) 26101540, (079) 26101541, (079) 26101542, (079) 26101543, (079) 26101544, (079) 26101545, (079) 26101546, (079) 26101547, (079) 26101548, (079) 26101549, (079) 26101550, (079) 26101551, (079) 26101552, (079) 26101553, (079) 26101554, (079) 26101555, (079) 26101556, (079) 26101557, (079) 26101558, (079) 26101559, (079) 26101560, (079) 26101561, (079) 26101562, (079) 26101563, (079) 26101564, (079) 26101565, (079) 26101566, (079) 26101567, (079) 26101568, (079) 26101569, (079) 26101570, (079) 26101571, (079) 26101572, (079) 26101573, (079) 26101574, (079) 26101575, (079) 26101576, (079) 26101577, (079) 26101578, (079) 26101579, (079) 26101580, (079) 26101581, (079) 26101582, (079) 26101583, (079) 26101584, (079) 26101585, (079) 26101586, (079) 26101587, (079) 26101588, (079) 26101589, (079) 26101590, (079) 26101591, (079) 26101592, (079) 26101593, (079) 26101594, (079) 26101595, (079) 26101596, (079) 26101597, (079) 26101598, (079) 26101599, (079) 26101600, (079) 26101601, (079) 26101602, (079) 26101603, (079) 26101604, (079) 26101605, (079) 26101606, (079) 26101607, (079) 26101608, (079) 26101609, (079) 26101610, (079) 26101611, (079) 26101612, (079) 26101613, (079) 26101614, (079) 26101615, (079) 26101616, (079) 26101617, (079) 26101618, (079) 26101619, (079) 26101620, (079) 26101621, (079) 26101622, (079) 26101623, (079) 26101624, (079) 26101625, (079) 26101626, (079) 26101627, (079) 26101628, (079) 26101629, (079) 26101630, (079) 26101631, (079) 26101632, (079) 26101633, (079) 26101634, (079) 26101635, (079) 26101636, (079) 26101637, (079) 26101638, (079) 26101639, (079) 26101640, (079) 26101641, (079) 26101642, (079) 26101643, (079) 26101644, (079) 26101645, (079) 26101646, (079) 26101647, (079) 26101648, (079) 26101649, (079) 26101650, (079) 26101651, (079) 26101652, (079) 26101653, (079) 26101654, (079) 26101655, (079) 26101656, (079) 26101657, (079) 26101658, (079) 26101659, (079) 26101660, (079) 26101661, (079) 26101662, (079) 26101663, (079) 26101664, (079) 26101665, (079) 26101666, (079) 26101667, (079) 26101668, (079) 26101669, (079) 26101670, (079) 26101671, (079) 26101672, (079) 26101673, (079) 26101674, (079) 26101675, (079) 26101676, (079) 26101677, (079) 26101678, (079) 26101679, (079) 26101680, (079) 26101681, (079) 26101682, (079) 26101683, (079) 26101684, (079) 26101685, (079) 26101686, (079) 26101687, (079) 26101688, (079) 26101689, (079) 26101690, (079) 26101691, (079) 26101692, (079) 26101693, (079) 26101694, (079) 26101695, (079) 26101696, (079) 26101697, (079) 26101698, (079) 26101699, (079) 26101700, (079) 26101701, (079) 26101702, (079) 26101703, (079) 26101704, (079) 26101705, (079) 26101706, (079) 26101707, (079) 26101708, (079) 26101709, (079) 26101710, (079) 26101711, (079) 26101712, (079) 26101713, (079) 26101714, (079) 26101715, (079) 26101716, (079) 26101717, (079) 26101718, (079) 26101719, (079) 26101720, (079) 26101721, (079) 26101722, (079) 26101723, (079) 26101724, (079) 26101725, (079) 26101726, (079) 26101727, (079) 26101728, (079) 26101729, (079) 26101730, (079) 26101731, (079) 26101732, (079) 26101733, (079) 26101734, (079) 26101735, (079) 26101736, (079) 26101737, (079) 26101738, (079) 26101739, (079) 26101740, (079) 26101741, (079) 26101742, (079) 26101743, (079) 26101744, (079) 26101745, (079) 26101746, (079) 26101747, (079) 26101748, (079) 26101749, (079) 26101750, (079) 26101751, (079) 26101752, (079) 26101753, (079) 26101754, (079) 26101755, (079) 26101756, (079) 26101757, (079) 26101758, (079) 26101759, (079) 26101760, (079) 26101761, (079) 26101762, (079) 26101763, (079) 26101764, (079) 26101765, (079) 26101766, (079) 26101767, (079) 26101768, (079) 26101769, (079) 26101770, (079) 26101771, (079) 26101772, (079) 26101773, (079) 26101774, (079) 26101775, (079) 26101776, (079) 26101777, (079) 26101778, (079) 26101779, (079) 26101780, (079) 26101781, (079) 26101782, (079) 26101783, (079) 26101784, (079) 26101785, (079) 26101786, (079) 26101787, (079) 26101788, (079) 26101789, (079) 26101790, (079) 26101791, (079) 26101792, (079) 26101793, (079) 26101794, (079) 26101795, (079) 26101796, (079) 26101797, (079) 26101798, (079) 26101799, (079) 26101800, (079) 26101801, (079) 26101802, (079) 26101803, (079) 26101804, (079) 26101805, (079) 26101806, (079) 26101807, (079) 26101808, (079) 26101809, (079) 26101810, (079) 26101811, (079) 26101812, (079) 26101813, (079) 26101814, (079) 26101815, (079) 26101816, (079) 26101817, (079) 26101818, (079) 26101819, (079) 26101820, (079) 26101821, (079) 26101822, (079) 26101823, (079) 26101824, (079) 26101825, (079) 26101826, (079) 26101827, (079) 26101828, (079) 26101829, (079) 26101830, (079) 26101831, (079) 26101832, (079) 26101833, (079) 26101834, (079) 26101835, (079) 26101836, (079) 26101837, (079) 26101838, (079) 26101839, (079) 26101840, (079) 26101841, (079) 2610184

Five co-ops join hands with ₹2k crore share capital to push exports

EXPORT BY COOPERATIVE SOCIETIES

Top six cooperatives in terms of value of their export in 2021-22

Cooperative	Turnover*	Export*
Amul (GCMMF)	46,481	1,530
NAFED	19,752	407
SPSK Ltd**	403	120
SVSSK Ltd***	501	43
KRIBHCO	13,194	28
IFFCO	40,172	11

(*In ₹crores); **Shree Pandurang Sahkar Karkhana Ltd, Maharashtra, ***Shri Vighnahar Sahkari Sahkar Karkhana Ltd, Maharashtra

Vishwa.Mohan@timesgroup.com

New Delhi: Taking advantage of the Centre's renewed push to the cooperative sector, five leading cooperatives — Amul, Nafed, Iffco, Kribhco and National Cooperative Development Corporation (NCDC) — will jointly set up a national export cooperative society with an authorised share capital of Rs 2,000 crore. It will tap the export potential of surplus marketable products, ranging from dairy, sugar, spices, handicrafts to minor forest produce, of the sector.

Many of these products have a huge demand in several countries, but in the absence of an umbrella cooperative society their export potential remains hugely untapped. Sugar is the biggest example. Though cooperatives contribute to one third of a country's total sugar production, direct exports by the cooperative sugar mills is less than 1% of total exports of the sweetener.

"Few cooperatives are currently involved in directly exporting different goods (primarily sugar, dairy products and handicrafts), but their share in India's overall export (worth around \$400 billion) is minuscule. Idea of an umbrel-

la body for export of goods being produced in the cooperative sector is to increase its share so that its profits benefit members, including farmers," said an official of the ministry of cooperation.

The national cooperative export society will carry out its activities through procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research and development. It'll be involved in trading of all types of goods and services produced by cooperatives and related entities.

"Higher exports through this society will increase production of goods and services by the cooperatives at various levels. It'll thus lead to more employment in the sector. Processing of goods and enhancing the services to match international standards will also generate additional employment," said the official while explaining the rationale behind the move.

Five cooperative societies, including Gujarat Cooperative Milk Marketing Cooperative Ltd (GCMMF), which markets milk products under the Amul brand, will contribute Rs 100 crore each and become promoter members.

केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी : मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बीज सोसाइटी, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी

नई दिल्ली, 22 जनवरी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी बनाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार जताया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को घुटा है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। मगर इतने वर्षों तक इसकी अनदेखी हुई पर पहली बार मोदी सरकार ने इसे सशक्त करने की शुरुआत की। इस क्षेत्र के हित में कैबिनेट में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी बनाने के निर्णय लिए हैं।

1. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बीज सोसाइटी
2. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी
3. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी

यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र को नई इज्जत देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार। श्री अमित शाह ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों की राष्ट्रीय सोसाइटी दुनिया में बड़ रही ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग को पूरा करने में भारतीय किसानों को असीमित अवसर प्रदान करेगी। साथ ही उत्पादों के परीक्षण व सर्टिफिकेशन देने व उन्हें स्टोर करने, ब्रांडिंग व बेचने के लिए एक अकेला संस्था के रूप में कार्य करेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बीज सोसाइटी किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग व उन्हें बेचने में मदद करेगी व नए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में भी सहायता करेगी। इस सोसाइटी के माध्यम से जो देशी प्राकृतिक बीज विकसित हो रहे हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी देश की लगभग 8.45 लाख समितियों से जुड़ कर उनके उत्पादों को विश्व भर में बेचने, उनकी बान्तावरी को बढ़ाने व उन्हें एक सफल व्यावसायिक उद्योग बनाने में मदद करेगी। इससे किसानों की आय में तीव्र वृद्धि होगी ही साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

1. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति)

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकती हैं। उपनियमों के अनुसार, इस सभी सहकारी समितियों के समिति बोर्ड में उनके नियुक्त प्रतिनिधि होंगे।

यह प्रासांगिक केन्द्रीय मंत्रालयों के समर्थन से देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए एक व्यापक (अम्बेला) संगठन के रूप में कार्य करेगी।
 सहकारी समितियों के समन्वयी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बीज सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी बीज समिति)

पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकती हैं। इसके उपनियमों के अनुसार, सोसाइटी के बोर्ड में इन सभी सहकारी समितियों के नियुक्त प्रतिनिधि होंगे।

यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण, महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास, और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक प्रभावी विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) और विनम्र प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को बढ़ावा देगी और उपज अंतराल को कम करने एवं उत्पादकता क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।
 सहकारी समितियों के समन्वयी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

3. मल्टी स्टेट कॉपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति)

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां और किसान, उत्पादक, संगठन (एकपीओ) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इन सभी सहकारी समितियों के उपनियमों के अनुसार सोसाइटी के बोर्ड में उनके नियुक्त प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह प्रासांगिक केन्द्रीय मंत्रालयों के समर्थन से जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, जांच, ब्रांडिंग और विपणन के रूप में कार्य करेगी।
 सहकारी समितियों के समन्वयी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Title : Three National Level Cooperative Societies under Multi-state Cooperative Society ACT
 News Paper – Dweep Smachar, West Bengal | 23/01/2023 | Page No. 3 | Circulation – 4,500



दकीय

आज का समाचार

पाषाण के भीतर भी मधुर स्रोत होते हैं उसमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है।
- जयशंकर प्रसाद

अच्छी योजना बनाना बुद्धिमानों का काम है पर उसको ठीक से पूरा करना धैर्य और परिश्रम का।
- क्लॉवट

मरुप्रहार 4

अजमेर बुधवार 25
जनवरी, 2023

CMVK

सहकारिता के माध्यम से होगा, कृषि उत्पादनों का निर्यात

भारत ने सदैव वसुधैव कुटुम्बको अवधारणा को महत्व दिया गया है और आदिकाल से सहकारिता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश के साथ साथ समस्त प्रदेशों में भी सहकारी संस्थाएँ आजादी के पूर्व से एवं आजादी के पश्चात् देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। सहकारी संस्थाएँ देश के ग्रामीण कृषि एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होने के कारण हमेशा देश की विभिन्न सरकारों के केंद्र बिन्दु में रही हैं। वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में कार्य कर रही नैफेड द्वारा वर्ष 2021-22 में 406.95 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया वहीं अमूल द्वारा वर्ष 2019-20 में 52,000 करोड़ रुपये से ज्यादा उत्पादों का निर्यात किया गया। वर्ष 2018 में अमूल विष्व का 9वां सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसर संगठन है। वह विष्व के 40 से 45 देशों में दूध उत्पादों का निर्यात करता है तथा 100 से ज्यादा देशों में अमूल के उत्पाद उपलब्ध है।

सहकारी संस्थाएँ अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। देश में उर्वरक उत्पादन में 28.80 प्रतिशत उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत चीनी उत्पादन में 30.60 प्रतिशत, और दूध के विपणन योग्य अधिशेष की खरीदी में 17.50 प्रतिशत का योगदान सहकारी क्षेत्र को संस्थाएँ प्रदान कर रही हैं। इनमें से कई उत्पादों की अनेक देशों में भारी मांग है। लेकिन सहकारिता के एकरूपता के अभाव में सहकारी उत्पादों / सेवाओं को निर्यात क्षमता काफी हद तक अनुपयोगी रही है। पर्याप्त वित्त, निर्यात उन्मुखीकरण, पर्याप्त बुनियादी ढांचा मानकीकरण, बाजार जागरूकता, उत्पादकों का प्रमाणन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो सहकारी उत्पादों के निर्यात में युधि के लिए आवश्यक हैं। सहकारिताओं द्वारा देश के निर्यात में बढोत्तरी करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। सहकारी संस्थाओं का देश के कुल चीनी उत्पादन में एक तिहाई योगदान है लेकिन सहकारी चीनी मिलों द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात बहुत कम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता की भावना एवं

अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को भली भाँति न सिर्फ महसूस किया है बल्कि केंद्र में नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। नवीन गठित सहकारिता मंत्रालय के माननीय सहकारिता व गृह मंत्री ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर देश के सहकारिता क्षेत्र में कदम उठाते हुए अनेकों बहुतराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को जनवरी 2022 में केबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है। इन बहुतराज्यीय सहकारी समितियों में एक "राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति" का गठन/पंजीयन मल्टी स्टेट को अपरेटिव सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत किया जाएगा।

नवगठित समिति को अधिकृत हिस्सा पूंजी 2000 करोड़ रुपये होगी। समिति का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश में होगा तथा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में होगा। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तरीय तक की समस्त सहकारी समितियाँ जो निर्यात गतिविधियों में रुचि रखती हैं उनकी समिति में सदस्यों के रूप में शामिल होने की पात्रता होगी। समिति निर्यात सम्बन्ध के

माध्यम से अपने सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरों के लिए सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी।

भारत सरकार द्वारा समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य उत्पादों व सेवाओं के निर्यात व्यापार में शीर्ष स्तर पर एवं छतत संगठन की स्थापना करना है जो सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य मंत्रालयों विशेष रूप से वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर निर्यात का बढ़ावा देने के लिए नीतियों, योजनाओं के सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में निर्यात को प्रोत्साहित कर सके। इस उद्देश्य हेतु समिति सरकार से सरकारों के माध्यम से सहायता व सपोर्ट कर सके।

प्रस्तावित समिति खरीद, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास आदि सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगी और सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करेगी। प्रस्तावित सोसायटी वित्त की

व्यवस्था करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद, बाजार अस्मूचना प्रणाली को विकसित करने और बनाए रखने जैसी अन्य गतिविधियों में भी मदद करेगी जिससे सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं के निर्यात में वृद्धि होगी।

सहकारिताओं के समावेशी विकासशील मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी एवं सदस्यों को अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर कीमतों की प्राप्ति तथा समिति द्वारा अर्जित अधिशेष से वितरित लाभांश दोनों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा जो सहकारिताएँ उत्पाद के निर्यात करने में सक्षम हैं उन्हें उनकी उत्पादों के निर्यात को तुलनात्मक रूप से अधिक कीमती प्राप्त होगी। इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को अनलॉक किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

समिति की स्थापना से माननीय प्रधान मंत्री को निम्न टिप्पणियों के साथ प्रतिध्वनित होती है कि सहकारी समितियों की ताकत का लाभ उठाने और उन्हें सफल और जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सहकारी समितियों के पास देश में विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अमूल दूध परिवर्तन की कुंजी है। सहकारी समितियों के लिए कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, मसाले, जैविक उत्पाद, उर्वरक, हथकरपा, हस्तकला, कपड़ा, चाय/काँफ़ी के क्षेत्रों में अपने तुलनात्मक लाभ का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तर पर सोचना और स्थानीय रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है।

समिति के गठन से दुनिया भर में लघु वनोपज, आयुर्वेदिक/हर्बल दवाएँ, प्रसंस्कृत भोजन, चमड़ा आदि के निर्यात में बढोत्तरी होगी।

-डॉ. किशोर कुमार, निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान, झालाना हृंगरी, जयपुर

Title : Agriculture Exports through Cooperative Societies

News Paper – Maru Prahar, Jaipur | 25/01/2023 | Page No. 4 | Circulation – 4,800

एनसीसीटी की प्रशिक्षण इकाइयां



राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक स्वायत्त संस्था)

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, तीसरा तल, एनसीयूओई बिल्डिंग, नई दिल्ली -110016



011-41096510



secy-ncct@gov.in



www.ncct.ac.in